



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से पूर्व एवं पश्चात् विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या—1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से
पूर्व एवं पश्चात् विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन पर
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या—1
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	--	v
कार्यकारी सारांश	--	vii - xi
अध्याय-I: प्रस्तावना	--	1-3
प्रस्तावना	1.1	1
उत्तर प्रदेश में योजना का कार्यान्वयन	1.2	1-2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	2
लेखापरीक्षा मानदण्ड	1.4	2-3
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि	1.5	3
अध्याय-II: विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ	--	5-15
उदय योजना में वित्तीय टर्नअराउंड का उद्देश्य	2.1	5
उदय योजना में वित्तीय टर्नअराउंड गतिविधियों का कार्यान्वयन	2.2	5-6
उदय से पूर्व वित्तीय स्थिति के साथ उदय के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ	2.3	6-7
वित्तीय टर्नअराउंड से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम	2.4	7
कुल बकाया ऋण में से आर-एपीडीआरपी ऋण को बाहर न रखने के कारण उ.प्र. सरकार द्वारा अधिक ऋण का अधिग्रहण	2.4.1	7-8
एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध उदय अनुदान से सरकारी देयों और टैरिफ सब्सिडी का समायोजन	2.4.2	8-9
उ.प्र. सरकार से हानियों के विरुद्ध अधिक दावा	2.4.3	9-10
लॉस ट्राजेक्टरी से अधिक के बन्धपत्रों को निर्गत करना	2.4.4	10-11
वितरण कम्पनियों द्वारा एफआरपी बन्धपत्रों का उच्च ब्याज दरों पर अधिग्रहण	2.4.5	11
डेब्ट सर्विस रिजर्व अकाउन्ट में अतिरिक्त धनराशि रखने के कारण परिहार्य ब्याज भार	2.4.6	11-13
वित्तीय टर्नअराउंड को प्रभावित करने वाले अन्य प्रकरण	2.5	13
उ.प्र. सरकार द्वारा बकाया सब्सिडी की कम अवमुक्ति	2.5.1	13-14
टैरिफ सब्सिडी के आस्थगन के परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियों पर परिहार्य ब्याज भार	2.5.2	14
अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली में विफलता	2.5.3	14-15
निष्कर्ष	--	15
अध्याय-III: विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन टर्नअराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ	--	17-39
प्रस्तावना	3.1	17
उदय योजना में परिचालन गतिविधियों का कार्यान्वयन	3.2	17-19
उदय से पूर्व की परिचालन स्थिति तथा उदय के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ	3.3	19

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
परिचालन गतिविधियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम	3.4	19
एटीएंडसी हानियों में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता	3.4.1	19-20
उच्च एटीएंडसी हानियों के कारण	3.4.2	21-22
वितरण कम्पनियों की बिलिंग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक	3.4.3	22-25
वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक	3.4.4	25-28
एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करने में विफलता	3.4.5	28-29
आपूर्ति की औसत लागत को प्रभावित करने वाले कारक	3.4.6	29-32
औसत राजस्व प्राप्ति को प्रभावित करने वाले कारक	3.4.7	32
टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करने में विफलता	3.4.8	32-34
वार्षिक लेखे तैयार करने में विलम्ब	3.4.9	34
शत-प्रतिशत फीडर मीटरिंग करने में विलम्ब	3.4.10	35
शत-प्रतिशत वितरण परिवर्तक मीटरिंग के लक्ष्यों को प्राप्त न करना	3.4.11	35-36
फीडर पृथक्करण कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विलम्ब	3.4.12	36
स्मार्ट मीटर लगाने के लक्ष्य की कम प्राप्ति	3.4.13	36-37
उदय के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन का अनुश्रवण	3.5	37
वितरण कम्पनियों के स्तर पर उदय का अनुश्रवण	3.5.1	37-38
उदय पोर्टल पर गलत रिपोर्टिंग	3.5.2	38-39
निष्कर्ष	--	39
अध्याय-IV: उदय के कार्यान्वयन का परिणाम-विद्युत वितरण कम्पनियों का उदय से पूर्व एवं पश्चात् प्रदर्शन		41-47
उदय के कार्यान्वयन का परिणाम-विद्युत वितरण कम्पनियों का उदय से पूर्व एवं पश्चात् प्रदर्शन	4.1	41
वितरण कम्पनियों का उदय से पूर्व एवं पश्चात् वित्तीय प्रदर्शन	4.2	41
बकाया ऋण की स्थिति	4.3	41-43
हानियों की स्थिति	4.4	43-44
उदय से पूर्व एवं पश्चात् वितरण कम्पनियों का परिचालन प्रदर्शन	4.5	45
एटीएंडसी हानियों की स्थिति	4.6	45-46
एसीएस-एआरआर अंतर की स्थिति	4.7	46-47

परिशिष्टियाँ	संख्या	पृष्ठ
लेखापरीक्षित मण्डलों और खण्डों की सूची	1.1	49
एटीएंडसी हानियों की गणना के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली दर्शाने वाला विवरण	3.1	50
एमओयू में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उच्च एटीएंडसी हानियों के कारण व्यर्थ हुई ऊर्जा यूनिटों को दर्शाने वाला विवरण	3.2	51
वितरण कम्पनियों में दोषपूर्ण मीटरों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	3.3	52
वितरण कम्पनियों द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण	3.4	53

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में 2015–16 से 2020–21 (अक्टूबर 2022 तक अद्यतन) की अवधि को आच्छादित करते हुए ‘उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से पूर्व एवं पश्चात् विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम निहित हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने नवम्बर 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का आरम्भ विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय एवं परिचालन टर्नअराउंड के उद्देश्य से किया था।

एमओपी, उ.प्र. सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य के पाँच वितरण कम्पनियों की ओर से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के मध्य उदय योजना में वर्णित वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 30 जनवरी 2016 को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया।

योजना में वितरण कम्पनियों के बकाया ऋणों का अधिग्रहण एवं वितरण कम्पनियों की भविष्य की हानियों के वित्तपोषण की परिकल्पना की गयी थी। उ.प्र. सरकार को 30 जून 2016 तक ₹ 44,403.89 करोड़ (30 सितम्बर 2015 तक कुल बकाया ऋण ₹ 59,205.19 करोड़ का 75 प्रतिशत) के ऋण का अधिग्रहण करना, वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक भी वितरण कम्पनियों की संभावित हानियों को चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहित करना और वर्तमान हानियों की पूर्ति करने के लिए बन्धपत्र निर्गत/गारंटी देना था।

अग्रेतर, योजना का लक्ष्य 2019–20 तक कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 14.86 प्रतिशत तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) एवं वितरण कम्पनियों की औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के मध्य अंतर को समाप्त करना था। उपरोक्त परिणामों को प्राप्त करने के लिए वितरण कम्पनियों को स्मार्ट मीटर स्थापित करने, सभी फीडरों एवं वितरण परिवर्तकों (डीटी) पर मीटर स्थापित करने, कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करने, मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता हेतु उपाय आदि करने की आवश्यकता थी।

योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के उद्देश्य से की गयी थी कि क्या उदय योजना और त्रिपक्षीय एमओयू में परिकल्पित वित्तीय मापदण्डों से सम्बन्धित निर्देशों का पालन किया गया तथा वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड के समग्र उद्देश्य को प्राप्त किया गया था और क्या उदय योजना और त्रिपक्षीय एमओयू में परिकल्पित परिचालन दक्षताओं को कार्यान्वयित करके लक्षित परिचालन सुधार और इच्छित परिणाम प्राप्त किये गए थे।

लेखापरीक्षा में क्या पाया गया और हम क्या संस्तुति करते हैं?

लेखापरीक्षा ने उदय योजना में परिकल्पित वित्तीय एवं परिचालन गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमियाँ पायी जिससे वितरण कम्पनियों के वित्तीय एवं परिचालन टर्नअराउंड का उद्देश्य विफल हो गया। लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी कमियों को आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित किया गया है।

विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ

उ.प्र. सरकार को 30 सितम्बर 2015 तक के आर-एपीडीआरपी ऋण को छोड़कर वितरण कम्पनियों के ऋण का 75 प्रतिशत अधिग्रहण करना था। वितरण कम्पनियों ने ₹ 59,205.19 करोड़ के कुल बकाया ऋण का निर्धारण करने के दौरान ₹ 2,816.88 करोड़ की धनराशि के आर-एपीडीआरपी ऋण को बाहर नहीं रखा जिसके कारण उ.प्र. सरकार को वितरण कम्पनियों के ₹ 2,112.66 करोड़ के अधिक ऋण का अधिग्रहण करना पड़ा।

यूपीपीसीएल ने वास्तविक हानियों के बजाय ऑपरेशनल फंडिंग रिकवायरमेंट के आधार पर उ.प्र. सरकार से हानि वित्तपोषण का दावा किया, जिसके कारण 2016–17 से 2020–21 के दौरान वितरण कम्पनियों को ₹ 7,977.97 करोड़ का अधिक वित्तपोषण प्राप्त हुआ।

यूपीपीसीएल ने 8.48 प्रतिशत से लेकर 10.15 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर ₹ 8,493.70 करोड़ के अधिक बन्धपत्र निर्गत किए जो उसके लॉस ट्राजेक्टरी से ज्यादा थे जिसके कारण अक्टूबर 2022 तक उसे ₹ 3,505.20 करोड़ के ब्याज का भार वहन करना पड़ा।

उ.प्र. सरकार ने 10 वर्षों की अवधि में किश्तों में निर्गत करने हेतु ₹ 14,661.54 करोड़ की अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी को आस्थगित कर दिया। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार के निर्देशानुसार, यूपीपीसीएल ने कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरईसी एवं पीएफसी से ₹ 20,940 करोड़ उधार लिए। जिसके परिणामस्वरूप, वितरण कम्पनियों को उधार ली गयी धनराशि पर अक्टूबर 2022 तक ₹ 2,426.61 करोड़ के ब्याज का भार वहन करना पड़ा।

वितरण कम्पनियों ने पूर्व में निर्गत हुए एफआरपी बन्धपत्र के अधिग्रहण के लिए 9.70 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर बन्धपत्र निर्गत किये जबकि लागू बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् ब्याज दर 9.45 प्रतिशत थी। यह एमओयू के प्रावधान के विरुद्ध था जिसमें निर्दिष्ट था कि बन्धपत्र बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् से अधिक ब्याज दर पर निर्गत नहीं किये जायेंगे। परिणामस्वरूप, वितरण कम्पनियों को अक्टूबर 2022 तक ₹ 3.97 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार वहन करना पड़ा।

एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध, उ.प्र. सरकार ने अपने द्वारा अधिग्रहित ऋणों के सापेक्ष उदय अनुदान से ₹ 4,268.86 करोड़ के विद्युत देयों और ₹ 25,081.46 करोड़ की अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी का समायोजन किया।

वितरण कम्पनियों के ₹ 4,306.60 करोड़ के सब्सिडी दावे अक्टूबर 2022 तक उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत करने के लिए लंबित थे। इसके परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियों के राजस्व में कमी हुई और उन पर अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

वृहद और भारी उपभोक्ताओं से ₹ 2,873.54 करोड़ की अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली में वितरण कम्पनियाँ विफल रहीं जिससे वे उस सीमा तक धन से वर्चित रहीं।

विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन टर्नआराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ

उदय से पूर्व अवधि (2015–16) के दौरान वितरण कम्पनियों की एटीएंडसी हानियाँ 39.86 प्रतिशत थी जिन्हें उदय एमओयू के अनुसार वर्ष 2019–20 तक घटा कर 14.86 प्रतिशत करना था। हालांकि, वितरण कम्पनियों की वास्तविक एटीएंडसी हानियाँ 2019–20 में 30.02 प्रतिशत थीं, जो 2021–22 में घटने के बजाय और बढ़कर 31.19 प्रतिशत हो गयी थीं।

वितरण कम्पनियाँ बिलिंग दक्षता (केस्को के सिवाय) एवं संग्रहण दक्षता (पीवीवीएनएल के सिवाय) के लक्ष्यों को 2019–20 की निर्धारित अवधि तक प्राप्त नहीं कर सकी जिसे अग्रेतर, 2021–22 के अंत तक भी (बिलिंग दक्षता के मामले में केस्को के सिवाय) प्राप्त नहीं किया जा सका।

उदय से पूर्व अवधि (2015–16) के दौरान वितरण कम्पनियों के एसीएस–एआरआर के मध्य का अंतर ₹ -0.33 प्रति यूनिट था जिसे उदय एमओयू के अनुसार वर्ष 2019–20 तक समाप्त करना था। वितरण कम्पनियों द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि 2019–20 में यह अंतर ₹ -0.34 प्रति यूनिट रहा जो आगे 2021–22 में बढ़कर ₹ -0.56 प्रति यूनिट हो गया।

उदय से पूर्व अवधि (2015–16) के दौरान उत्तर प्रदेश की सभी वितरण कम्पनियों में 70.60 लाख (41.13 प्रतिशत) बिना मीटर वाले उपभोक्ता थे। नवम्बर 2016 में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने मार्च 2018 तक बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग करने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किए थे। वितरण

कम्पनियाँ बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की मीटरिंग के सम्बन्ध में यूपीईआरसी के निर्देशों का पालन करने में विफल रही क्योंकि मार्च 2018 के अंत तक सभी वितरण कम्पनियों में कुल 196.45 लाख उपभोक्ताओं में से 54.03 लाख बिना मीटर वाले उपभोक्ता (27.50 प्रतिशत) थे। अग्रेतर, अक्टूबर 2022 तक कुल 319.16 लाख उपभोक्ताओं में से 12.34 लाख उपभोक्ता (3.87 प्रतिशत) अभी भी बिना मीटर के थे।

यद्यपि, वितरण कम्पनियों ने दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिशत में कमी करने में सुधार दर्शाया है, यह 2015–16 से 2022–23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान तीन प्रतिशत (2018–19 से केस्कों को छोड़कर) के निर्धारित मानदण्डों से अधिक रहा। 2015–16 से 2022–23 के दौरान दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत 3.41 प्रतिशत (2017–18 के दौरान केस्कों में) से 30.90 प्रतिशत (2017–18 के दौरान डीवीवीएनएल में) था।

वितरण कम्पनियाँ चूककर्ता उपभोक्ताओं से देय वसूल करने अथवा उनके कनेक्शन काटने में विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप चयनित 64 खण्डों के अक्टूबर 2022 के बिलिंग डाटा के अनुसार, 17.10 लाख लाइव उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 4,474.28 करोड़ की धनराशि के विद्युत प्रभार के बकायों का संचय तीन माह से अधिक समय के लिए हो गया।

वितरण कम्पनियों ने विद्युत चोरी और अनाधिकृत उपयोग के मामलों में उचित कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण अक्टूबर 2022 तक 66,514 चोरी के मामलों में ₹ 458.37 करोड़ की वसूली नहीं हो पायी।

वितरण कम्पनियों ने टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार विभागीय उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली नहीं की। टैरिफ आदेश का अनुपालन न करने के कारण, यूपीपीसीएल 2016–17 से 2021–22 के दौरान ₹ 1,761.55 करोड़ के राजस्व अंतर की वसूली नहीं कर सका।

वितरण कम्पनियों को, 2018–19 से 2020–21 के दौरान अपने बिलों का नियत समय पर भुगतान न करने के कारण, उत्पादकों को ₹ 5,965.13 करोड़ के विलंबित भुगतान अधिभार का भुगतान करना पड़ा, जिसे यूपीईआरसी द्वारा इन वर्षों के टैरिफ का ट्रू अप करते समय विद्युत क्रय लागत में से अस्वीकृत कर दिया गया। चूंकि, उपभोक्ताओं से इसकी वसूली टैरिफ के माध्यम से नहीं की जा सकती थीं, इसने विद्युत आपूर्ति की औसत लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

वितरण कम्पनियों ने अन्य राज्यों की वितरण कम्पनियों से अतिरिक्त विद्युत के क्रय हेतु पूर्व अनुमोदन नहीं लिया था जिसके कारण यूपीईआरसी द्वारा ₹ 30.69 करोड़ के विद्युत क्रय लागत को स्वीकार नहीं किया गया। इसने विद्युत आपूर्ति की औसत लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

वितरण कम्पनियों ने 2016–17 से 2022–23 के दौरान टैरिफ याचिकाएं 7 दिनों से लेकर 362 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत कीं। परिणामतः, टैरिफ आदेशों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के फलस्वरूप 2016–17 से 2022–23 की अवधि के दौरान, वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं से ₹ 7,143.97 करोड़ के बढ़े हुए टैरिफ की वसूली में विलम्ब हुआ।

वितरण कम्पनियाँ 30 सितम्बर 2017 तक 100 प्रतिशत वितरण परिवर्तक (डीटी) मीटरों को स्थापित करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। अग्रेतर, कोई भी वितरण कम्पनी अक्टूबर 2022 तक भी डीटी मीटरिंग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि कुल 25,67,667 स्थापित वितरण परिवर्तकों के सापेक्ष मात्र 3,52,889 (13.74 प्रतिशत) ही उपलब्ध रही।

यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित रोल आउट प्लान के अनुसार निर्धारित लक्ष्य 40 लाख स्मार्ट मीटरों के सापेक्ष वितरण कम्पनियाँ मार्च 2022 तक केवल 11.54 लाख स्मार्ट मीटर ही स्थापित कर सकी।

उदय के कार्यान्वयन का परिणाम—विद्युत वितरण कम्पनियों का उदय से पूर्व एवं पश्चात् प्रदर्शन

वितरण कम्पनियों का उदय से पूर्व एवं पश्चात् वित्तीय प्रदर्शन

योजना के कार्यान्वयन के बाद वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ जैसा कि उदय से पूर्व एवं पश्चात् में बकाया ऋण और हानियों की स्थिति से देखा जा सकता है। 30 सितम्बर 2015 को वितरण कम्पनियों का उदय से पूर्व बकाया ऋण ₹ 59,205.19 करोड़ था। जून 2016 तक उ.प्र. सरकार द्वारा ऋण के 75 प्रतिशत धनराशि ₹ 44,403.89 करोड़ के अधिग्रहण के बाद भी वितरण कम्पनियों का ऋण 31 मार्च 2020 को योजना के बंद होने तक फिर से ₹ 52,456.15 करोड़ पहुँच गया जो आगे 31 मार्च 2022 को बढ़कर ₹ 71,102.77 करोड़ तक हो गया। इसी तरह, वितरण कम्पनियों की हानियाँ 31 मार्च 2016 को ₹ 2,654.42 करोड़ से काफी बढ़कर 31 मार्च 2020 को ₹ 3,792.24 करोड़ हो गयी जो 31 मार्च 2022 तक और बढ़कर ₹ 6,492.45 करोड़ हो गयी। अग्रेतर, वितरण कम्पनियों की संचित हानियाँ 31 मार्च 2016 को ₹ 67,901.09 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2020 को ₹ 85,152.99 करोड़ हो गयी। 31 मार्च 2022 को वितरण कम्पनियों की संचित हानियाँ ₹ 77,936.94 करोड़ रही।

वितरण कम्पनियों के ऋण एवं हानियों में वृद्धि का कारण मुख्य रूप से उदय योजना के अन्तर्गत निर्धारित परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने में वितरण कम्पनियों की विफलता, उदय अनुदान से सरकारी बकाया का समायोजन और उ.प्र. सरकार द्वारा 10 वर्षों की अवधि में राजस्व सब्सिडी को आस्थगित करना था।

उदय से पूर्व एवं पश्चात् वितरण कम्पनियों का परिचालन प्रदर्शन

वितरण कम्पनियों के परिचालन प्रदर्शन में भी योजना के कार्यान्वयन के बाद बहुत सुधार नहीं हुआ जैसा कि एटीएंडसी हानियों और एसीएस—एआरआर अंतर की स्थिति से देखा जा सकता है। एटीएंडसी हानियों में उदय से पूर्व (2015–16) के 39.86 प्रतिशत स्तर से 14.86 प्रतिशत की परिकल्पित कमी के विरुद्ध, वितरण कम्पनियों की एटीएंडसी हानियाँ 2019–20 के दौरान 30.02 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही जो अग्रेतर 2021–22 में 31.19 प्रतिशत तक बढ़ गयी। एटीएंडसी हानियों के लक्षित स्तर को प्राप्त नहीं करने का मुख्य कारण कम बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता और एटीएंडसी हानियों में कमी लाने से सम्बन्धित गतिविधियों को नहीं करना, यथा बिना मीटर वाले कनेक्शनों पर मीटर लगाने में विफलता, दोषपूर्ण मीटरों की अत्यधिक संख्या, अधिक वितरण हानि एवं राजस्व बकाया वसूली में विफलता था।

इसी तरह, उदय से पूर्व (2015–16) के दौरान वितरण कम्पनियों का एसीएस—एआरआर अंतर ₹ -0.33 प्रति यूनिट था, जो कि ₹ 0.06 प्रति यूनिट अधिशेष लक्ष्य के सापेक्ष उदय अवधि (2019–20) के अंत में बढ़कर ₹ -0.34 प्रति यूनिट हो गया। वितरण कम्पनियाँ वर्ष 2021–22 तक भी एसीएस—एआरआर अंतर को समाप्त नहीं कर सकी चूंकि यह अग्रेतर बढ़कर ₹ -0.56 प्रति यूनिट हो गया था। यह मुख्य रूप से आपूर्ति की औसत लागत को प्रभावित करने वाले कारकों यथा विद्युत क्रय लागत को कम करने में विफलता एवं मानदण्डों से अधिक किए गए व्यय की यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकृति और औसत वसूली योग्य राजस्व को प्रभावित करने वाले कारक जैसे बिना मीटर वाले एवं दोषपूर्ण मीटर कनेक्शन का अस्तित्व, विभागीय उपभोक्ताओं से टैरिफ दर के स्थान पर निश्चित दर की वसूली, समय पर टैरिफ याचिकाएं दाखिल करने में विफलता और टैरिफ का संशोधन न होने के कारण था।

इस प्रकार, योजना के कार्यान्वयन के बाद भी वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय एवं परिचालन टर्नअराउंड का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

संस्तुतियाँ

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि:

- उ.प्र. सरकार वितरण कम्पनियों की उधार ली गयी धनराशि पर निर्भरता कम करने के लिए उन्हें समय पर सब्सिडी निर्गत कर सकती है।
- वितरण कम्पनियों को उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं हेतु उधार ली गयी धनराशि पर उनकी निर्भरता कम हो सके।
- वितरण कम्पनियों को एटीएंडसी हानियों में लक्षित कर्मी की प्राप्ति और बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में समग्र सुधार को सुनिश्चित करना चाहिए। अग्रेतर, वितरण कम्पनियों को बिना भीटर वाले संयोजनों जिसमें विभागीय उपभोक्ता भी सम्मिलित हैं, की मीटरिंग समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिए, दोषपूर्ण भीटरों के प्रतिशत में अनुमन्य सीमा तक कर्मी करनी चाहिए और उपभोक्ताओं से बकायों की समयबद्ध वसूली के लिए प्रयास करना चाहिए।
- वितरण कम्पनियों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।
- उपभोक्ताओं से बढ़े हुये टैरिफ की वसूली में विलम्ब से बचने के लिए वितरण कम्पनियों को यूपीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिकायें समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय—I

प्रस्तावना

अध्याय-I

प्रस्तावना

प्रस्तावना

1.1 विद्युत क्षेत्र को व्यापक रूप से उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वितरण क्षेत्र में नियंत्रक कम्पनी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अन्तर्गत पाँच विद्युत वितरण कम्पनियाँ यथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल) और कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को) सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं (उद्योग, वाणिज्यिक, कृषि, घरेलू आदि) को ऊर्जा की आपूर्ति और वितरण के लिए वितरण कम्पनियाँ उत्तरदायी हैं। वित्तीय एवं परिचालन स्थिरता के मामले में वितरण क्षेत्र, उत्पादन, पारेषण और वितरण की विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी हैं।

भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) ने वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय स्थिति में सुधार के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न योजनाओं और उपायों की शुरूआत की थी, जिसे सीमित सफलता मिली और वितरण कम्पनियाँ अर्थव्यवस्था पर संसाधनों की अपवाहक बनी रहीं।

नवम्बर 2015 के दौरान भारत सरकार ने, वितरण कम्पनियों के वित्तीय एवं परिचालन टर्नअराउंड के उद्देश्य से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (इसके बाद उदय योजना के रूप में संदर्भित) की शुरूआत की। योजना की परिकल्पना पथप्रवर्तक सुधार के रूप में सभी के लिए सस्ती और सुलभ 24x7 बिजली के विजन को साकार करने के लिए की गयी थी।

उत्तर प्रदेश में योजना का कार्यान्वयन

1.2 भारत सरकार ने वितरण कम्पनियों की परिचालन एवं वित्तीय दक्षता में सुधार के लिए 20 नवम्बर 2015 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन (ओएम) द्वारा उदय योजना को अनुमोदित किया। ओएम में यह अपेक्षित किया गया कि सम्बन्धित राज्य सरकार, वितरण कम्पनियों और भारत सरकार के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएं, जिसमें उदय योजना में वर्णित वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार, वितरण कम्पनियों और भारत सरकार की जिम्मेदारियाँ निर्धारित हों।

तदनुसार, 30 जनवरी 2016 को ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार; उ.प्र. सरकार एवं यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश की पाँच वितरण कम्पनियों की ओर से) के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए।

योजना में निम्नलिखित वित्तीय एवं परिचालन परिणामों की परिकल्पना की गयी थी :

- **वित्तीय परिणाम :** उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों के बकाया ऋणों के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण करना और क्रमबद्ध रूप से वितरण कम्पनियों के भविष्य की हानियों का वित्तपोषण करना;

- परिचालन परिणाम: 2019–20 तक कुल तकनीकी एंड वाणिज्यिक (एटीएंडसी)¹ हानियों को 14.86 प्रतिशत तक कम करना और 2019–20 तक आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)² और औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर)³ के मध्य अंतर को समाप्त करना।

वित्तीय एवं परिचालन टर्नअराउंड के उपरोक्त परिणामों को प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय एमओयू में निम्नलिखित लक्षित गतिविधियों का प्रावधान किया गया था :

- वित्तीय गतिविधियाँ:** उ.प्र. सरकार को वितरण कम्पनियों के ₹ 44,403.89 करोड़ (30 सितम्बर 2015 तक ₹ 59,205.19 करोड़⁴ के कुल बकाया ऋण का 75 प्रतिशत) के ऋण भार को 30 जून 2016 तक अधिग्रहित करना, वर्ष 2016–17 से 2019–20 हेतु वितरण कम्पनियों की भविष्य की हानियों को चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहित करना तथा वर्तमान हानियों की पूर्ति करने के लिए बंधपत्र निर्गत करना/गारंटी देना आदि था।
- परिचालन गतिविधियाँ:** वितरण कम्पनियों को बिलिंग दक्षता एवं संग्रहण दक्षता में सुधार करना, 31 मार्च 2020 तक प्रति माह 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं⁵ हेतु स्मार्ट मीटर लगाने, 30 सितम्बर 2016 और 30 सितम्बर 2017 तक क्रमशः सभी फीडरों एवं वितरण परिवर्तकों (डीटी) पर मीटर लगाने, 31 मार्च 2018 तक कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु फीडर पृथक्करण की प्राप्ति करने और मौंग पक्ष प्रबंधन एवं ऊर्जा दक्षता के उपायों को करना था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.3 निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के उद्देश्य से की गयी थी कि, क्या:

- उदय योजना और त्रिपक्षीय एमओयू में परिकल्पित वित्तीय मापदण्डों से सम्बन्धित निर्देशों का पालन किया गया है तथा वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड के समग्र उद्देश्य को प्राप्त किया गया है; और
- उदय योजना और त्रिपक्षीय एमओयू में परिकल्पित परिचालन दक्षताओं को कार्यान्वित करके लक्षित परिचालन सुधार और इच्छित परिणाम प्राप्त किये गए।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

1.4 लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदण्डों के सापेक्ष बैंचमार्क किया गया था:

- एमओपी द्वारा निर्गत उदय योजना के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान;
- एमओपी, उ.प्र. सरकार एवं यूपीपीसीएल के मध्य हस्ताक्षरित एमओयू के प्रावधान;
- एमओपी एवं उ.प्र. सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देश/अनुदेश;
- विद्युत अधिनियम, 2003, विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (आपूर्ति संहिता, 2005) और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत निर्देश/टैरिफ/ट्रू–अप आदेश;

¹ कुल तकनीकी एंड वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों का अर्थ ऊर्जा हानि (तकनीकी हानि + चोरी + बिलिंग में अदक्षता) और वाणिज्यिक हानि (भुगतान में चुक + संग्रहण में अदक्षता) का सम्मिश्रण है।

² आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) का अर्थ विशिष्ट अवधि के दौरान वहन किये गये कुल व्यय को कुल इनपुट ऊर्जा की इकाईयों से किये गये विभाजन से है।

³ औसत वसूलनीय राजस्व (एआरआर) का अर्थ विशिष्ट अवधि के दौरान कुल राजस्व (प्राप्ति के आधार पर संस्थानी और अन्य सभी आय सहित) को कुल इनपुट ऊर्जा की इकाईयों से किये गये विभाजन से है।

⁴ 30 सितम्बर 2015 से पहले वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) - 2012 के अन्तर्गत निर्गत किये गए ₹ 5,270.13 करोड़ की धनराशि के बन्धपत्रों सहित।

⁵ कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर।

- यूपीपीसीएल एवं वितरण कम्पनियों के निदेशक मण्डल की बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त;
- उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के ऋण अनुबंध की शर्तें;
- उदय डैशबोर्ड पर दर्शाए गए लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

1.5 उदय योजना के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता और दक्षता तथा उदय योजना के कार्यान्वयन के पूर्व और पश्चात् वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन का आँकलन करने की दृष्टि से निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी 2021 से मई 2022⁶ और दिसम्बर 2022 के दौरान सम्पादित की गयी थी। चूंकि, उदय योजना की कार्यान्वयन अवधि 2015–16 से 2019–20 तक थी, लेखापरीक्षा ने 2015–16 से 2020–21 (अक्टूबर 2022 तक अद्यतन) की अवधि का लेखापरीक्षण किया ताकि उदय से पूर्व और पश्चात् की स्थिति की तुलना की जा सके।

योजना के कार्यालय ज्ञापन और एमओयू में परिकल्पित उ.प्र. सरकार एवं वितरण कम्पनियों के दायित्वों के प्रति निष्पादन का आँकलन करने के लिए ऊर्जा विभाग, उ.प्र. सरकार (विभाग), यूपीपीसीएल और पाँच वितरण कम्पनियों के मुख्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गयी।

परिचालन उपलब्धियों की जाँच करने हेतु लेखापरीक्षा ने 18 मण्डल कार्यालयों जिनका चयन उच्च एवं निम्न एटीएंडसी हानियों और योजना अवधि के दौरान उनके एटीएंडसी हानियों में वृद्धि/कमी की मात्रा के आधार पर किया गया था और इन मण्डल कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले 64 विद्युत वितरण खण्डों से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा की (परिशिष्ट-1.1)।

एन्ट्री कॉन्फ्रेंस 8 फरवरी 2021 को की गयी थी जिसमें विभाग/प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यविधि पर चर्चा की गयी थी। लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा करने के लिए प्रबंधन के साथ 8 जुलाई 2022 तथा विभाग/सरकार के साथ 28 मार्च 2023 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस की गयी। यूपीपीसीएल के उत्तर जुलाई/अगस्त 2022 तथा मार्च 2023 में प्राप्त हुए थे। अन्तिमीकरण के दौरान, निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संशोधित किया गया और अगस्त 2023 में उत्तर प्राप्त करने हेतु ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्गत किया गया। विभाग का उत्तर अक्टूबर 2023 में प्राप्त हुआ जिनको प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

⁶ यूपीपीसीएल मुख्यालय की लेखापरीक्षा जनवरी 2021 में शुरू की गयी थी परन्तु कोविड महामारी के कारण यह बीच-बीच में स्थगित रही और चारों वितरण कम्पनियों (डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल) के फील्ड कार्यालयों की लेखापरीक्षा दिसम्बर 2021 में ही आरम्भ हो सकी।

अध्याय-II

विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय
टर्नअराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ

अध्याय-II

विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ

उदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय टर्नअराउंड हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान एवं इकिवटी प्रदान करते हुए 30 सितम्बर 2015 तक वितरण कम्पनियों के कुल बकाया ऋण का 75 प्रतिशत अधिग्रहित करना परिकल्पित था। इस योजना में वितरण कम्पनियों की हानियों को चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहित करने की भी परिकल्पना की गयी थी।

एमओपी के निर्देशों के विपरीत वितरण कम्पनियों ने आर-एपीडीआरपी ऋण को कुल बकाया ऋण से बाहर नहीं रखा, जिसके कारण उ.प्र. सरकार द्वारा अधिक ऋण का अधिग्रहण किया गया। वितरण कम्पनियों ने उ.प्र. सरकार से हानि वित्तपोषण की अधिक धनराशि का भी दावा किया। वे उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकीं। उ.प्र. सरकार ने वितरण कम्पनियों को समय पर सब्सिडी की धनराशि जारी नहीं की। उ.प्र. सरकार ने उदय एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध, सरकारी देयों और अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी को भी उदय अनुदान से समायोजित किया। इससे वितरण कम्पनियों का वित्तीय टर्नअराउंड प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

उदय योजना में वित्तीय टर्नअराउंड का उद्देश्य

2.1 उदय योजना में वित्तीय टर्नअराउंड का मुख्य उद्देश्य, वितरण कम्पनियों के 30 सितम्बर 2015 तक के ऋण का 75 प्रतिशत अधिग्रहित करते हुए और उदय योजना की कार्यान्वयन अवधि (2015–16 से 2019–20) के दौरान वितरण कम्पनियों की भविष्य की हानियों को चरणबद्ध तरीके से वित्तपोषित करते हुए वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं दक्षता में सुधार करना था।

उदय योजना में वित्तीय टर्नअराउंड गतिविधियों का कार्यान्वयन

2.2 एमओयू समयबद्ध सुधार हेतु अनुश्रवण किये जाने वाले, वित्तीय एवं परिचालन दक्षता मानदण्डों को निर्धारित करता है। उदय योजना के अनुसार वित्तीय मानदण्डों को नीचे दर्शाया गया है:

- वितरण कम्पनियों के 30 सितम्बर 2015 तक के ऋण के 75 प्रतिशत को उ.प्र. सरकार द्वारा, 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान अर्थात् 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17 में 25 प्रतिशत (30 जून 2016 तक) अधिग्रहित करना। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (ए) से 1.2 (सी))
- उ.प्र. सरकार द्वारा, वितरण कम्पनियों को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत ऋण एवं द्वितीय वर्ष में 25 प्रतिशत ऋण का 50:25:25 के अनुपात में, अनुदान, ऋण एवं इकिवटी के मिश्रण के रूप में हस्तान्तरित करना। तृतीय वर्ष में, 25 प्रतिशत हस्तान्तरित ऋण को अनुदान में परिवर्तित करना। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (डी))
- उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 से 2019–20 की वितरण कम्पनियों की भविष्य की हानियों को चरणबद्ध तरीके से 2020–21 तक अधिग्रहित करना। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (आई))
- राज्य सरकार के विभागों द्वारा, विद्युत आपूर्ति हेतु सभी बकाया देयों का वितरण कम्पनियों को त्वरित भुगतान। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (जे))

- उ.प्र. सरकार, वितरण कम्पनियों के शेष ऋण/वितरण कम्पनियों द्वारा निर्गत बन्धपत्र के लिए मूलधन एवं ब्याज के भुगतान की गारंटी देगी। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (के))
- उ.प्र. सरकार, 1 अक्टूबर 2015 के बाद वर्तमान हानियों की पूर्ति करने के लिए लॉस ट्राजेक्टरी की सीमा के अंदर स्वयं बन्धपत्र निर्गत करेगी या वितरण कम्पनियों द्वारा निर्गत बन्धपत्र की गारंटी देगी। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (एल))
- 31 मार्च 2016 को वितरण कम्पनियों के पास शेष ऋण के पचास प्रतिशत हेतु, वितरण कम्पनियाँ, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बन्धपत्र पूर्ण/आंशिक रूप से निर्गत करेंगी या उन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋणों या बन्धपत्र में परिवर्तित करवाएंगी, जिनकी व्याज दर बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् प्राप्त दर से अधिक नहीं होगी। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.3 (ए))

उदय योजना के कार्यान्वयन की जाँच करने के लिए लेखापरीक्षा ने उदय से पूर्व की वित्तीय स्थिति, उदय योजना में वित्तीय गतिविधियों के लक्ष्यों एवं इसकी उपलब्धियों और उदय योजना के पश्चात् की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया।

उदय से पूर्व वित्तीय स्थिति के साथ उदय के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

2.3 कुल बकाया ऋण और हानियों से सम्बन्धित वितरण कम्पनियों की उदय से पूर्व की वित्तीय स्थिति के साथ—साथ उदय के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों और उनके विरुद्ध उपलब्धि/कमी को नीचे तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: वितरण कम्पनियों की उदय से पूर्व की वित्तीय स्थिति की अवस्था, उदय के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियाँ

वित्तीय मानदण्ड	उदय से पूर्व की स्थिति	उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के ऋण को चुकाने एवं हानियों के वित्तपोषण के लक्ष्य	उपलब्धि	टिप्पणियाँ
वितरण कम्पनियों का कुल बकाया ऋण	₹ 59,205.19 करोड़ (30 सितम्बर 2015 को) (एमओपी के निर्देशों ¹ के अनुसार ₹ 2,816.88 करोड़ के आर-एपीडीआरपी ऋण को बाहर रखने के पश्चात ₹ 56,388.31 करोड़)	उ.प्र. सरकार द्वारा ₹ 44,403.89 करोड़ (एमओपी के निर्देशों के अनुसार आर-एपीडीआरपी ऋण को बाहर रखने के पश्चात ₹ 42,291.23 करोड़)	₹ 44,403.89 करोड़	आर-एपीडीआरपी ऋण को कुल बकाया ऋण से बाहर न रखने के कारण उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों के ऋण का ₹ 2,112.66 करोड़ अधिक अधिग्रहण किया गया जैसा कि प्रस्तर 2.4.1 में चर्चा की गयी है।
		यूपीपीसीएल द्वारा ₹ 14,097.08 करोड़	₹ 11,984.42 करोड़ ²	वितरण कम्पनियों द्वारा ऋण के भुगतान में ₹ 2,112.66 करोड़ की कमी थी जैसा कि प्रस्तर 2.4.1 में चर्चा की गयी है।
वितरण कम्पनियों की हानियाँ	₹ 2,654.42 करोड़ (वर्ष 2015–16 के लिए)	₹ 4,071.52 करोड़ ³	₹ 12,049.49 करोड़	वितरण कम्पनियों द्वारा उ.प्र. सरकार से ₹ 7,977.97 करोड़ के हानि

¹ एमओपी के ओएम दिनांक 18 अप्रैल 2016 के अनुसार।

² ₹ 615.45 करोड़ के एफआरपी बन्धपत्र (जिन्हें उदय बन्धपत्रों में परिवर्तित नहीं किया जाना था) और 30 सितम्बर 2015 से वास्तविक अधिग्रहण की तिथि तक की अवधि के दौरान बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को ₹ 992.68 करोड़ की ऋण किस्तों के भुगतान, सहित।

³ एमओपी के दिनांक 20 नवम्बर 2015 के ओएम के प्रस्तर 8.1 के साथ पठित एमओयू के प्रस्तर 1.2 (आई) के अनुसार, उ.प्र. सरकार 2017–18 से 2020–21 के दौरान वितरण कम्पनियों की पिछले वर्ष की वास्तविक हानियों के निर्दिष्ट प्रतिशत को अधिग्रहित करेगी। तदनुसार, उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कुल हानियों की गणना की गयी है।

वित्तीय मानदण्ड	उदय से पूर्व की स्थिति	उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के ऋण को चुकाने एवं हानियों के वित्तपोषण के लक्ष्य	उपलब्धि	टिप्पणियाँ
				वित्तपोषण का अधिक दावा ⁴ किया गया जैसा कि प्रस्तर 2.4.3 में चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा ने ऋण अधिग्रहित करने की प्रक्रिया एवं ऋण अधिग्रहित करने से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों जैसे बन्धपत्र निर्गत करना और ऋण का भुगतान आदि तथा उदय योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् वितरण कम्पनियों की स्थिति की जाँच की। अग्रेतर, उदय योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वित्तीय हानियों को कम करने में वितरण कम्पनियों की विफलता की भी जाँच की गयी। अवलोकित की गयी कमियों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

वित्तीय टर्नअराउंड से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम

2.4 लेखापरीक्षा ने उदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय गतिविधियों के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पायी।

कुल बकाया ऋण में से आर-एपीडीआरपी ऋण को बाहर न रखने के कारण उ.प्र. सरकार द्वारा अधिक ऋण का अधिग्रहण

2.4.1 एमओयू के क्लॉज 1.2 के अनुसार, वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड के लिए उ.प्र. सरकार को वितरण कम्पनियों के 30 सितम्बर 2015 तक के ऋण का 75 प्रतिशत अधिग्रहित करना था। अग्रेतर, एमओयू के क्लॉज 1.3 (ए) के अनुसार, शेष 25 प्रतिशत ऋण को वितरण कम्पनियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बन्धपत्रों के माध्यम से निर्वाहित किया जाएगा या इसे बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण या बन्धपत्र जिसकी ब्याज दर बैंकों की बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् प्राप्त दर से अधिक न हो, में परिवर्तित किया जाएगा। एमओपी ने दिनांक 18 अप्रैल 2016 के ओएम द्वारा स्पष्ट किया कि रिस्ट्रैक्चर्ड एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेन्ट एण्ड रिफार्म्स प्रोग्राम (आर-एपीडीआरपी) के अन्तर्गत भारत सरकार के ऋणों को राज्यों द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जाएगा अथवा वितरण कम्पनियों के बन्धपत्र के रूप में निर्गत नहीं किया जाएगा। इन ऋणों को वितरण कम्पनियों के लेखों में भारत सरकार/एफआई/बैंक ऋणों के रूप में दिखाना जारी रखा जा सकता है एवं इन्हें निर्वाहित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, आर-एपीडीआरपी ऋणों को उदय योजना के दायरे से बाहर रखा गया था।

वितरण कम्पनियों ने 30 सितम्बर 2015 तक ₹ 59,205.19 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से ₹ 44,403.89 करोड़ के ऋण को उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के लिए निर्धारित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओपी द्वारा ओएम निर्गत (18 अप्रैल 2016) करने के पश्चात् भी, वितरण कम्पनियों द्वारा ₹ 2,816.88 करोड़ के आर-एपीडीआरपी ऋण को बकाया ऋण से बाहर नहीं रखा गया। आर-एपीडीआरपी ऋण को बाहर न रखने के कारण, उ.प्र. सरकार को वितरण कम्पनियों के ₹ 2,112.66 करोड़ (₹ 2,816.88 करोड़ का

एमओपी के निर्देशों के विपरीत, कुल बकाया ऋण से आर-एपीडीआरपी ऋण को बाहर न रखने के कारण, उ.प्र. सरकार को वितरण कम्पनियों के ₹ 2,112.66 करोड़ के अधिक ऋण को अधिग्रहित करना पड़ा।

⁴ यूपीपीसीएल द्वारा आगणित ऑपरेशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट (ओएफआर) के आधार पर किया गया दावा। ओएफआर, आवश्यक वित्तपोषण है जिसकी गणना नकद हानि/लाभ में चल सम्पत्तियों में कमी/चल दायित्वों में वृद्धि को जोड़ने और/या चल सम्पत्तियों में वृद्धि/दीर्घकालीन दायित्वों में कमी को घटाने के पश्चात् एवं राज्य सरकार से नकद सहयता को समायोजित करने के उपरान्त की गयी है जैसा कि एमओयू में उल्लिखित है।

75 प्रतिशत) के अधिक ऋण को अधिग्रहित करना पड़ा, जिसे अन्यथा वितरण कम्पनियों द्वारा चुकाया जाना चाहिए था।

उत्तर में, विभाग ने बताया कि उपर्युक्त उल्लिखित ओएम के द्वारा एमओपी निर्णय के अनुसार, उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहण करने हेतु, आर-एपीडीआरपी ऋण को उदय योजना में सम्मिलित नहीं किया जाना था। तदनुसार, ₹ 2,816.88 करोड़ का आर-एपीडीआरपी ऋण वितरण कम्पनियों के लेखों में रखा गया एवं उ.प्र. सरकार ने आर-एपीडीआरपी ऋण का 75 प्रतिशत अधिग्रहित नहीं किया। इस प्रकार, उ.प्र. सरकार द्वारा ऋण का कोई अतिरिक्त अधिग्रहण नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि आर-एपीडीआरपी ऋण उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया था परन्तु इस ऋण को उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले ऋण के, 75 प्रतिशत भाग की गणना के लिए, उदय योजना के अन्तर्गत कुल बकाया ऋण से बाहर नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों के ऋण का अधिक अधिग्रहण किया गया।

एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध उदय अनुदान से सरकारी देयों और टैरिफ सब्सिडी का समायोजन

2.4.2 जैसा कि उपर्युक्त तालिका 2.1 में उल्लिखित है, उ.प्र. सरकार को एमओयू के प्रावधानों के अनुसार, वितरण कम्पनियों के 30 सितम्बर 2015 तक के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2016–17 (30 जून 2016 तक) तक अधिग्रहित करना था।

उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित किये जाने वाले ऋण तथा उसके सापेक्ष जारी की गयी इकिवटी एवं अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)
वास्तविक रूप से अधिग्रहित किया गया ऋण	44,403.89
अधिग्रहित ऋण के विरुद्ध जारी की गयी इकिवटी	15,053.57
अधिग्रहित ऋण के विरुद्ध जारी किया गया अनुदान	29,350.32

एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध उ.प्र. सरकार ने अधिग्रहित ऋण के विरुद्ध दिए गए उदय अनुदान से ₹ 4,268.86 करोड़ का विद्युत देय

और ₹ 25,081.46 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी का समायोजन किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उ.प्र. सरकार ने तत्पश्चात् आदेशित किया (मार्च 2021) कि ₹ 29,350.32 करोड़ के जारी किये गए अनुदान के सापेक्ष, ₹ 4,268.86 करोड़ के सरकारी विभागों के विद्युत बिलों के देयों एवं वर्ष 2019–20 तक उ.प्र. सरकार द्वारा देय ₹ 25,081.46 करोड़⁵ की अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी को भुगतान किया हुआ माना जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुदान से विद्युत देयों एवं अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी का समायोजन, एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध था क्योंकि उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को उनके ऋण को अधिग्रहित करने के लिए अनुदान दिया गया था। इससे राज्य की वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि वितरण कम्पनियाँ, सरकारी विभागों के विद्युत बिलों के बकाया देयों और सब्सिडी के सापेक्ष, उ.प्र. सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से वंचित रहीं।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए ऋण के विरुद्ध देय सरकारी देयों एवं टैरिफ सब्सिडी का समायोजन इस आधार पर किया गया था कि यदि यह सब्सिडी उ.प्र. सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार और प्रदत्त कर दी गयी होती तो वितरण कम्पनियाँ अतिरिक्त कार्यशील पूँजी उधार नहीं लेती जिसे अंततः उ.प्र. सरकार द्वारा उदय योजना के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया।

⁵ वितरण कम्पनियों द्वारा उ.प्र. सरकार से दावा की गयी 2007–08 से 2019–20 की अवधि से सम्बन्धित ₹ 39,743.00 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी में से।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उदय अनुदान से सरकारी देयों एवं टैरिफ सब्सिडी का समायोजन, एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध था और इसने उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नआराउंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

उ.प्र. सरकार से हानियों के विरुद्ध अधिक दावा

2.4.3 एमओयू के क्लॉज 1.2 (आई) के अनुसार, उ.प्र. सरकार वितरण कम्पनियों की भविष्य की हानियों को चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहित करेगी और हानियों को निम्नानुसार वित्तपोषित करेगी:

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली वितरण कम्पनी की पिछले वर्ष की हानि	2016-17 की हानि का 5 प्रतिशत	2017-18 की हानि का 10 प्रतिशत	2018-19 की हानि का 25 प्रतिशत	2019-20 की हानि का 50 प्रतिशत

अग्रेतर, उदय योजना पर एमओपी के दिनांक 20 नवम्बर 2015 के कार्यालय ज्ञापन के प्रस्तर 8.1 में भी यह प्रावधानित था कि प्रत्येक वर्ष की गणना के लिए वर्तमान वर्ष की अनुमानित हानियों की बजाय 'पिछले वर्ष' की वास्तविक हानियों का उपयोग किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियों की ओर से यूपीपीसीएल ने वास्तविक हानियों के आधार पर दावा करने के बजाय ऑपरेशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट (ओएफआर) के आधार पर उ.प्र. सरकार से हानि के वित्तपोषण का दावा किया एवं उ.प्र. सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति भी कर दी गयी। वास्तविक हानियों के आधार पर दावे योग्य हानि वित्तपोषण की राशि एवं ओएफआर के आधार पर उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित की गयी हानियों का विवरण नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: दावे योग्य हानि वित्तपोषण की राशि एवं उ.प्र. सरकार द्वारा ओएफआर के आधार पर अधिग्रहित हानियों का विवरण

वर्ष	एमओयू के अनुसार अधिग्रहित की जाने वाली हानि का प्रतिशत	वितरण कम्पनियों की वास्तविक हानियाँ	उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली हानि	वितरण कम्पनियों द्वारा आगणित ओएफआर	ओएफआर के आधार पर उ.प्र. सरकार द्वारा वास्तविक रूप से अधिग्रहित की गयी हानि	उ.प्र. सरकार द्वारा अधिक अधिग्रहित की गयी हानियाँ	(₹ करोड़ में)
2016-17	शून्य	3,182.05	शून्य	13,376.43	शून्य	0	
2017-18	2016-17 की हानि का 5 प्रतिशत	5,083.30	159.10	14,171.24	668.81	509.71	
2018-19	2017-18 की हानि का 10 प्रतिशत	6,031.89	508.33	16,834.74	1,417.21	908.88	
2019-20	2018-19 की हानि का 25 प्रतिशत	3,792.24	1,507.97	11,510.00	3,685.00	2,177.03	
2020-21	2019-20 की हानि का 50 प्रतिशत		1,896.12		6,278.47 ⁶	4,382.35	
योग		4,071.52			12,049.49	7,977.97	

झोल: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना

इस प्रकार, उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यूपीपीसीएल ने, उ.प्र. सरकार से हानि वित्तपोषण का दावा करने में, एमओयू के क्लॉज 1.2 (आई) के प्रावधानों का

⁶ इसमें वर्ष 2019-20 का ₹ 523.47 करोड़ तथा वर्ष 2020-21 का ₹ 5,755.00 करोड़ सम्मिलित हैं। उ.प्र. सरकार द्वारा इस धनराशि को 10 वर्षों की अवधि में अवमुक्त करने हेतु आस्थगित किया गया।

यूपीपीसीएल ने वास्तविक हानियों के बजाय ऑपरेशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट के आधार पर हानि वित्तपोषण का दावा किया, जिसके परिणामस्वरूप उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों की ₹ 7,977.97 करोड़ की हानियों का अधिक अधिग्रहण किया गया।

उल्लंघन किया जिसके परिणामस्वरूप उ.प्र. सरकार द्वारा ₹ 7,977.97 करोड़ की हानियों का अधिक अधिग्रहण किया गया।

विभाग ने उत्तर दिया कि उ.प्र. सरकार से हानि सब्सिडी सहायता के सापेक्ष दावा, सकल ऑपरेशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट (ओएफआर) के आधार पर किया गया था, जो कि एमओयू में परिकल्पित था और लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर आगणित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओयू के क्लॉज 1.2 (आई) में कहा गया है कि उ.प्र. सरकार, वितरण कम्पनियों की 'भविष्य की हानियों' को चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहित करेगी। अग्रेतर, उदय योजना के ओएम के प्रस्तर 8.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष हेतु हानि वित्तपोषण की गणना के लिए 'पिछले वर्ष की वास्तविक हानियों का उपयोग किया जाएगा।

लॉस ट्राजेक्टरी से अधिक के बन्धपत्रों को निर्गत करना

2.4.4 एमओयू के क्लॉज 1.2 (एम) में प्रावधान है कि 1 अक्टूबर 2015 के बाद की वर्तमान हानियाँ, यदि कोई हो, केवल लॉस ट्राजेक्टरी की सीमा तक ही वित्तपोषित की जाएंगी और ऐसा वित्तपोषण राज्य द्वारा बन्धपत्र निर्गत करके या राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित, वितरण कम्पनियों द्वारा निर्गत बन्धपत्रों के माध्यम से किया जाएगा। एमओयू के अनुसार वर्ष-वार अनुमानित हानि निम्नानुसार थी:

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	(₹ करोड़ में)
एमओयू के अनुसार अनुमानित हानि (-)/शुद्ध आय	(-) 7,724	(-) 5,012	(-) 2,621	568	3,647	

यूपीपीसीएल द्वारा हानि वित्तपोषण से सम्बन्धित निर्गत बन्धपत्रों के विवरण नीचे तालिका 2.3 में दिये गये हैं।

तालिका 2.3: यूपीपीसीएल द्वारा निर्गत बन्धपत्रों का विवरण

वर्ष	एमओयू में लॉस ट्राजेक्टरी के अनुसार निर्गत किये जाने वाले बन्धपत्र	यूपीपीसीएल द्वारा वास्तव में निर्गत किये गए बन्धपत्र	ब्याज की दर (प्रतिशत में)	निर्गत किये गए अधिक बन्धपत्र	(₹ करोड़ में)
2015-16 (अक्टूबर 15-मार्च 16)	3,862	9,999.50	8.48 एवं 8.97	1,125.50	
2016-17	5,012				
2017-18	2,621	9,989.20	9.75 एवं 10.15	7,368.20	
योग	11,495	19,988.70			8,493.70

नोट: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यूपीपीसीएल ने एमओयू के प्रावधान के उल्लंघन में 8.48 प्रतिशत से लेकर 10.15 प्रतिशत के मध्य की ब्याज दर पर ₹ 8,493.70 करोड़ के अधिक बन्धपत्र निर्गत किये। बन्धपत्र अधिक निर्गत करने के कारण, यूपीपीसीएल को अक्टूबर 2022 तक ₹ 3,505.20 करोड़⁷ के ब्याज का भार वहन करना पड़ा जिसका उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार को, उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों द्वारा लॉस ट्राजेक्टरी से अधिक निर्गत किए गए बन्धपत्रों के लिए अतिरिक्त गारंटी प्रदान करनी पड़ी।

⁷ ₹ 8,493.70 करोड़ के निर्गत किये गए अधिक बन्धपत्र पर आनुपातिक ब्याज।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि एमओयू के अनुसार, हानियों का वित्तपोषण सकल ऑपरेशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट के सापेक्ष था, जिसकी परिकल्पना एमओयू में की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओयू में निर्धारित लॉस ट्राजेक्टरी की सीमा तक ही बन्धपत्र निर्गत किये जाने थे।

वितरण कम्पनियों द्वारा एफआरपी बन्धपत्रों का उच्च ब्याज दरों पर अधिग्रहण

2.4.5 एमओयू के कलॉज 1.3 (ए) में वर्णित है कि 31 मार्च 2016 को शेष ऋण के 50 प्रतिशत हेतु वितरण कम्पनियाँ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बन्धपत्र पूर्ण/आंशिक रूप से निर्गत करेंगी या उन्हें ऋणों अथवा बन्धपत्र में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिवर्तित करवाएगी जिनकी ब्याज दर बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् प्राप्त दर से अधिक नहीं होगी। वितरण कम्पनियाँ एवं उ.प्र. सरकार, वितरण कम्पनियों के पास शेष ऋण के मूलधन/ब्याज का, ऋणदाताओं को समयानुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 299.49 करोड़ की धनराशि के एफआरपी बन्धपत्र अधिग्रहित किये गए और 30 मार्च 2017 को 15 वर्ष की अवधि के लिए उदय बन्धपत्र के रूप में निर्गत किए गए।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि वितरण कम्पनियों द्वारा 9.70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर उपर्युक्त उदय बन्धपत्र निर्गत किये गए थे जबकि निर्गत करते समय प्रचलित बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात्, प्राप्त दर 9.45 प्रतिशत थी। यह एमओयू के प्रावधान के विरुद्ध था जिसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट था कि बन्धपत्रों को बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् प्राप्त दर से अधिक ब्याज पर निर्गत न किए जाए। परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2022 तक वितरण कम्पनियों को ₹ 3.97 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार वहन करना पड़ा और मार्च 2032 में बन्धपत्रों के मोचन तक, ₹ 2.97 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज वहन करना संभावित है, जिसे बचाया जा सकता था।

विभाग ने उत्तर दिया कि मौजूदा ऋणदाताओं को एमओयू आधारित पूर्व निर्धारित बैंक बेस दर + 0.1 प्रतिशत अर्थात् 9.70 प्रतिशत पर ऋण निर्गत किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओयू के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार बन्धपत्र प्रचलित बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् प्राप्त दर पर निर्गत किये जाने थे, जो कि नहीं किये गए थे।

डेब्ट सर्विस रिजर्व अकाउन्ट में अतिरिक्त धनराशि रखने के कारण परिहार्य ब्याज भार

2.4.6 यूपीपीसीएल ने हानि वित्तपोषण के लिए 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान चार चरणों में ₹ 19,988.70 करोड़ के सरकारी गारंटीकृत बन्धपत्र निर्गत किये, जिसका विवरण नीचे तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4: यूपीपीसीएल द्वारा निर्गत बन्धपत्रों से सम्बन्धित विवरण

क्र. सं.	बन्धपत्र का विवरण	डिबेन्वर ट्रस्टी	बैंक खाता	खाता संख्या	बन्धपत्र धनराशि	(₹ करोड़ में)
1.	8.97 प्रतिशत रेटेड सूचीबद्ध बन्धपत्र (17.03.17)	विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड		50200004167832	6,510.00	
2.	8.48 प्रतिशत रेटेड सूचीबद्ध बन्धपत्र (27.03.17)		एचडीएफसी बैंक	50200017358986	3,489.50	
3.	9.75 प्रतिशत रेटेड सूचीबद्ध बन्धपत्र (05.12.17)	बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड	आईसीआईसीआई बैंक	628105501280	4,498.20	

क्र. सं.	बन्धपत्र का विवरण	डिबेन्चर ट्रस्टी	बैंक खाता	खाता संख्या	बन्धपत्र धनराशि
4.	10.15 प्रतिशत रेटेड सूचीबद्ध बन्धपत्र (27.03.18)			628105501283	5,491.00
योग					19,988.70

ज्ञात: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना

उपर्युक्त तालिका 2.4 के क्रम संख्या 1 एवं 2 में उल्लिखित बन्धपत्र अनुबन्ध के कलॉज⁸ के अनुसार, अगली देय तिथि पर देय होने वाले बकाया बन्धपत्रों के लिए कुल ऋण सेवा दायित्व (मूलधन और ब्याज) के बराबर धनराशि को निर्गतकर्ता द्वारा डेब्ट सर्विस रिज़र्व अकाउन्ट (डीएसआरए) में रोलिंग आधार पर रखा जायेगा। इसी प्रकार, तालिका 2.4 के क्रम संख्या 3 एवं 4 में उल्लिखित बन्धपत्र अनुबन्ध के कलॉज⁹ के अनुसार अगली दो तिमाहियों में देय ऋण सेवा दायित्व (मूलधन और ब्याज) के बराबर धनराशि को डीएसआरए में रोलिंग आधार पर बनाए रखना प्रावधानित है।

ऊपरलिखित कलॉजों के अनुसार, यूपीपीसीएल द्वारा आवश्यक ऋण सेवा दायित्व के बराबर धनराशियाँ रखते हुए डीएसआरए खातों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने यद्यपि देखा कि यूपीपीसीएल ने, डीएसआरए खातों में, ऋण सेवा के लिए आवश्यक धनराशि से अधिक धनराशि को रखा। 2016–17 से 2022–23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त रखी गयी धनराशि ₹ 17.33 करोड़ से ₹ 365.28 करोड़ के मध्य थी जैसा कि नीचे तालिका 2.5 में वर्णित है।

तालिका 2.5: डीएसआरए में आवश्यकता से अधिक जमा राशि को प्रदर्शित करती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में डीएसआरए खातों में धनराशि	अनुबन्ध के अनुसार रखे जाने योग्य धनराशि	डीएसआरए खातों में रखी गयी अधिक धनराशि (एफडीआर एवं निवेश सहित)
2016-17	224.44	204.04	20.40
2017-18	728.24	362.96	365.28
2018-19	1,024.80	839.21	185.59
2019-20	1,678.93	1,602.91	76.02
2020-21	1,548.98	1,512.00	36.98
2021-22	1,438.68	1,421.34	17.33
2022-23	1,388.93	1,362.55	26.38

ज्ञात: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित

इस प्रकार, डीएसआरए खातों में अधिक धनराशि रखने के कारण, यूपीपीसीएल इस धनराशि का उपयोग नहीं कर सका और अपनी कार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उच्च दर पर ऋण लिया, जिसे डीएसआरए खाते में रखी गयी अधिक धनराशि का उपयोग करके बचाया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप यूपीपीसीएल पर अक्टूबर 2022 तक ₹ 18.71 करोड़¹⁰ के ब्याज का भार पड़ा।

⁸ एस्क्रो खाता अनुबन्ध का कलॉज 1 और ₹ 6,510 करोड़ के बन्धपत्र अनुबन्ध का कलॉज 2.11 तथा ₹ 3,489.50 करोड़ के बन्धपत्र अनुबन्ध का कलॉज 2.13 जिसका उल्लेख तालिका 2.4 की क्रम संख्या 1 एवं 2 में किया गया है।

⁹ एस्क्रो खाता अनुबन्ध का कलॉज 1 और ₹ 4,498.20 करोड़ के बन्धपत्र अनुबन्ध का कलॉज 2.14.3 तथा ₹ 5,491 करोड़ के बन्धपत्र अनुबन्ध का कलॉज 2.14.3 जिसका उल्लेख तालिका 2.4 की क्रम संख्या 3 एवं 4 में किया गया है।

¹⁰ 8.25 से 11.32 प्रतिशत की ब्याज दर (यूपीपीसीएल द्वारा लिये गये कार्यशील पूँजी ऋण की वार्षिक भारित औंसत ब्याज दर) में से 5.10 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत की ब्याज दर (2016–17 से 2022–23 के दौरान एक वर्ष की सावधि जमा पर तत्कालीन ब्याज दरें) जो डीएसआरए में रखी गयी धनराशि की सावधि जमाओं/निवेशों पर अर्जित ब्याज दरें थीं, को घटाकर आगणित।

विभाग ने उत्तर में कहा कि यूपीपीसीएल ने एफडीआर एवं एए रेटेड प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से डीएसआरए में अपेक्षित धनराशि बनाए रखी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीएसआरए खाते में, ट्रेंच 1 एवं 2 के लिए एक तिमाही तथा ट्रेंच 3 एवं 4 के लिए दो तिमाहियों के बराबर भुगतान हेतु अपेक्षित धनराशि की सीमा तक ही धनराशि रखने की आवश्यकता थी।

वित्तीय टर्नअराउंड को प्रभावित करने वाले अन्य प्रकरण

2.5 लेखापरीक्षा ने अन्य प्रकरणों, जो त्रिपक्षीय एमओयू का भाग नहीं थे परन्तु इसने वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड को प्रभावित किया, का विश्लेषण किया एवं निम्नलिखित कमियाँ पार्यीः

उ.प्र. सरकार द्वारा बकाया सब्सिडी की कम अवमुक्ति

2.5.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में यदि राज्य सरकार को किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को कोई सब्सिडी देने की आवश्यकता होती है तो राज्य सरकार प्रदायित सब्सिडी से प्रभावित व्यक्ति के मुआवजे की धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप से करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा सब्सिडी योजना यथा टैरिफ सब्सिडी और पावर लूम कनेक्शनों के लिए सब्सिडी, संचालित की गयी थी। उपर्युक्त योजनाओं में उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को सब्सिडी दी जानी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा ने सभी वितरण कम्पनियों हेतु 2015–16 से 2022–23 (अक्टूबर 2022 तक) की अवधि के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के सम्बन्ध में दावा की गयी, प्राप्त एवं शेष सब्सिडी की स्थिति का विश्लेषण किया, जैसा कि नीचे तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: उ.प्र.सरकार से बकाया सब्सिडी की स्थिति

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान दावा की गयी सब्सिडी	कुल देय सब्सिडी	वर्ष के दौरान प्राप्त सब्सिडी	(₹ करोड़ में) सब्सिडी का बकाया
					1
2015-16	20,970.30	10,263.04	31,233.34	5,590.00	25,643.34
2016-17	25,643.34	13,443.66	39,087.00	5,981.87	33,105.13
2017-18	33,105.13	13,643.08	46,748.21	6,099.83	40,648.38
2018-19	40,648.38	11,154.98	51,803.36	10,261.62	41,541.74
2019-20	41,541.74	11,198.15	52,739.89	10,270.00	42,469.89
2020-21	42,469.89	9,197.87	51,667.76	47,200.18 ¹¹	4,467.58
2021-22	4,467.58	14,261.78	18,729.36	14,765.66	3,963.70
2022-23 (अक्टूबर 2022 तक)	3,963.70	8,130.40	12,094.10	7,787.50	4,306.60

ज्ञात: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना

2015–16 से 2022–23 के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को सब्सिडी राशि कम निर्गत की गयी थी।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2015–16 से 2022–23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान सब्सिडी का सम्पूर्ण दावा उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत नहीं किया गया। योजना की कार्यान्वयन अवधि के अंत तक और उसके बाद अक्टूबर 2022 तक, ₹ 4,306.60 करोड़ के सब्सिडी दावे, उ.प्र. सरकार से निर्गत किये जाने हेतु शेष थे, जिससे वितरण कम्पनियों का राजस्व घाटा प्रभावित हुआ और उनपर अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 में ₹ 25,081.46 करोड़ के उदय अनुदान को सब्सिडी के भुगतान में से समायोजित कर दिया गया जैसा कि प्रस्तर 2.4.2 में चर्चा की

¹¹ इसमें उदय अनुदान से समायोजित ₹ 25,081.46 करोड़ तथा उ.प्र. सरकार द्वारा 10 वर्षों की अवधि में भुगतान हेतु आस्थगित ₹ 14,661.54 करोड़ सम्मिलित है।

गयी है। सब्सिडी की कम प्राप्ति के कारण, वितरण कम्पनियाँ उस सीमा तक कार्यशील पूँजी धनराशि से बंचित रहीं।

विभाग ने उत्तर में कहा कि यूपीईआरसी द्वारा आगामित अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी, वितरण कम्पनियों के लेखों में नहीं दर्शायी गयी थी क्योंकि उसको उ.प्र. सरकार द्वारा कभी भी अनुमन्य नहीं किया गया था। लिकिविडिटी इन्प्यूज़न स्कीम¹² की अधिसूचना के पश्चात्, उ.प्र. सरकार ने इस अतिरिक्त सब्सिडी को स्वीकार किया और इसे उदय योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुदान से समायोजित किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उदय के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुदान से अतिरिक्त सब्सिडी का समायोजन उदय एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध था।

टैरिफ सब्सिडी के आस्थगन के परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियों पर परिहार्य ब्याज भार

2.5.2 जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर 2.5.1 में उल्लिखित है, उ.प्र. सरकार द्वारा सब्सिडी का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि उ.प्र. सरकार ने 2007–08 से 2019–20 की अवधि से सम्बन्धित ₹ 14,661.54 करोड़ की बकाया टैरिफ सब्सिडी 10 वर्षों की अवधि में किश्तों में निर्गत करने हेतु आस्थगित (जुलाई 2020) कर दी। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार ने (जुलाई 2020) निर्देश दिया कि कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए धन की उपलब्धता हेतु यूपीपीसीएल, आरईसी एवं पीएफसी से ₹ 20,940 करोड़¹³ का ऋण लेगा। तदनुसार, यूपीपीसीएल ने यह धनराशि आरईसी एवं पीएफसी से ऋण के रूप में ली।

इस प्रकार, यूपीपीसीएल द्वारा सब्सिडी के स्थान पर ऋण लेने के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2022 तक वितरण कम्पनियों पर ₹ 2,426.61 करोड़¹⁴ का परिहार्य ब्याज का भार पड़ा।

विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार ने लिकिविडिटी इन्प्यूज़न स्कीम के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के दावे को 10 वर्षों में अवमुक्त करना स्वीकार किया। वितरण कम्पनियों ने राज्य सरकार से ब्याज के वित्तपोषण के लिए सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया, हालाँकि राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। अग्रेतर, सब्सिडी राशि पर अतिरिक्त ब्याज का भार सम्बन्धित वित्तीय वर्षों में उदय/जीएसडीपी/आरडीएसएस योजना की कार्यप्रणाली पर वृद्ध रूप से वित्तपोषित किया जाएगा।

उत्तर स्व-व्याख्यात्मक है क्योंकि ब्याज का भार वितरण कम्पनियों पर पड़ा जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

संस्कृति 1:

उ.प्र. सरकार वितरण कम्पनियों की उधार ली गयी धनराशि पर निर्भरता कम करने के लिए उन्हें समय पर सब्सिडी निर्गत कर सकती है।

अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली में विफलता

2.5.3 विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के कलॉज 4.20 में प्रावधान है कि अनुज्ञाप्तिधारी किसी भी उपभोक्ता को अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने के लिए नोटिस दे सकता है यदि प्रतिभूति जमा, उसकी पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर प्राककलित 2 माह (बाद में इसे जुलाई 2019 से संशोधित कर 45 दिन कर दिया गया)

¹² लिकिविडिटी इन्प्यूज़न स्कीम भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत घोषित की गयी योजना थी, जिसके अन्तर्गत आरईसी और पीएफसी ने वितरण कम्पनियों को 10 वर्षों की अवधि के लिए विशेष दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया।

¹³ 14,661.53 करोड़ की बकाया टैरिफ सब्सिडी के साथ उदय योजना के अन्तर्गत ₹ 6,278.47 करोड़ की लंबित हानि वित्तपोषण के समतुल्य।

¹⁴ यूपीपीसीएल द्वारा भुगतान की गयी कुल ब्याज धनराशि: ₹ 3,465.75 करोड़ (₹ 20,940.00 करोड़ की ऋण धनराशि पर) x ₹ 14,661.54 करोड़ / ₹ 20,940.00 करोड़।

के अनुमानित विद्युत उपभोग बिल से कम हो। अग्रेतर, क्लॉज 4.20 (एफ) में प्रावधान है कि उपभोक्ता नोटिस मिलने के 30 दिनों के अंदर, अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति जमा करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञाप्तिधारी उस अवधि के लिए विद्युत की आपूर्ति बंद कर सकता है जिस अवधि के दौरान विफलता जारी रहती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियाँ अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए वर्ष 2022–23 के दौरान 9,219 वृहद एवं भारी उपभोक्ताओं से ₹ 2,873.54 करोड़¹⁵ की अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली करने में विफल रहीं। उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली में विफलता के कारण वितरण कम्पनियाँ उस सीमा तक धन से वंचित रहीं।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि जून 2022 तक ₹ 77.79 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली की जा चुकी है और शेष धनराशि शीघ्रातिशीघ्र वसूल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 2,873.54 करोड़ की देय अतिरिक्त प्रतिभूति जमा धनराशि के सापेक्ष मात्र ₹ 77.79 करोड़ की ही वसूली की गयी।

संस्तुति 2:

वितरण कम्पनियों को उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं हेतु उधार ली गयी धनराशि पर उनकी निर्भरता कम हो सके।

निष्कर्ष

वितरण कम्पनियों ने एमओपी के निर्देशानुसार कुल बकाया ऋण से आर-एपीडीआरपी ऋण को बाहर नहीं रखा जिसके कारण उ.प्र. सरकार द्वारा ₹ 2,112.66 करोड़ के अधिक ऋण का अधिग्रहण किया गया। वितरण कम्पनियों ने उ.प्र. सरकार से ₹ 7,977.97 करोड़ की हानि वित्तपोषण की अधिक धनराशि का भी दावा किया। उ.प्र. सरकार द्वारा हानि वित्तपोषण एवं टैरिफ सब्सिडी के आस्थगन के कारण वितरण कम्पनियों को लिए गये ऋण के ब्याज का परिहार्य भार वहन करना पड़ा। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार ने उनके द्वारा अधिग्रहित किये गये ऋण के विरुद्ध जारी उदय अनुदान से ₹ 4,268.86 करोड़ के विद्युत देयों और ₹ 25,081.46 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी का समायोजन किया।

उ.प्र. सरकार ने वितरण कम्पनियों को सब्सिडी की कम धनराशि निर्गत की। वितरण कम्पनियाँ उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकीं, जिससे ऋण पर उनकी निर्भरता बढ़ गयी।

परिणामस्वरूप, उदय योजना में परिकल्पित वित्तीय टर्नअराउंड का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

¹⁵ लेखापरीक्षा द्वारा वृहद एवं भारी उपभोक्ताओं के 45 दिनों के औसत उपभोग बिल एवं मार्च 2022 को उपलब्ध उनकी प्रतिभूति जमा धनराशि के मध्य अंतर के आधार पर आगणित।

अध्याय-III

विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन
टर्नअराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ

अध्याय-III

विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन टर्नअराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ

उदय योजना के अन्तर्गत परिचालन टर्नअराउंड में हानि को कम करने एवं राजस्व वृद्धि से सम्बन्धित परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति के द्वारा वर्ष 2019–20 तक एटीएंडसी हानियों को 14.86 प्रतिशत तक कम करना तथा एसीएस–एआरआर अंतर को समाप्त करना परिकल्पित था।

बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में कमी के कारण वितरण कम्पनियाँ एटीएंडसी हानियों में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहीं। मार्च 2020 में वितरण कम्पनियों की एटीएंडसी हानियाँ 30.02 प्रतिशत थीं जो मार्च 2022 में और अधिक बढ़कर 31.19 प्रतिशत हो गयी।

विद्युत क्रय लागत को कम न करने तथा टैरिफ निर्धारण में यूपीईआरसी द्वारा मानदण्डों से अधिक व्यय को अस्वीकृत करने के कारण वितरण कम्पनियाँ एसीएस–एआरआर अंतर को समाप्त करने में भी विफल रहीं। मार्च 2020 को वितरण कम्पनियों का एसीएस–एआरआर अंतर ₹ -0.34 प्रति यूनिट था जो मार्च 2022 को बढ़कर ₹ -0.56 प्रति यूनिट हो गया।

वितरण कम्पनियाँ विभिन्न परिचालन लक्ष्यों जैसे वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करने आदि को प्राप्त नहीं कर सकीं जिसने अंततः वितरण कम्पनियों के परिचालन टर्नअराउंड को प्रभावित किया।

प्रस्तावना

3.1 उदय एमओयू विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता सुधारने के उद्देश्य से परिचालन गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करना निर्दिष्ट करता है। परिचालन सुधार के परिणाम को एटीएंडसी हानियों में कमी एवं आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के अंतर को समाप्त करने के परिचालन निष्पादन संकेतकों के माध्यम से मापा जाना था।

उदय योजना में परिचालन गतिविधियों का कार्यान्वयन

3.2 परिचालन गतिविधियों के कुशल एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वितरण कम्पनियों को एमओयू में परिकल्पित गतिविधियों का कार्यान्वयन करना अपेक्षित था। योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों द्वारा परिचालन गतिविधियों के सफल निष्पादन के पश्चात् निम्नलिखित परिणामों की परिकल्पना की गयी थी:

- 2019–20 तक एटीएंडसी हानियों को 14.86 प्रतिशत तक कम करना और;
- 2019–20 तक एसीएस–एआरआर अंतर को समाप्त करना।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, उदय एमओयू में मुख्य लक्षित क्षेत्रों के लिए वितरण कम्पनियों के प्रमुख दायित्वों/प्रतिबद्धताओं की सूची उल्लिखित है, जैसा कि नीचे तालिका 3.1 में वर्णित है।

तालिका 3.1: उदय योजना के अन्तर्गत परिचालन मापदण्ड एवं प्रत्याशित लाभ

क्र.सं.	परिचालन मापदण्ड	प्रत्याशित लाभ
1	एटीएंडसी हानियों में कमी प्रदर्शित करने वाले क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के घंटों में बढ़ोतरी। (एमओयू का कलॉज 1.3 (डी))	हानियों को कम करने के लिए स्थानीय सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
2	1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2015 तक बकाया, रिन्यूबल पर्चेज ऑफ्लीगेशन (आरपीओ) को पूरा करना। वितरण कम्पनियाँ ब्रेकईवन बिन्दु अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019–20 पर पहुंचने के पश्चात् तीन वर्ष के अंदर आरपीओ दायित्वों को पूर्ण करेंगी। (एमओयू का कलॉज 1.3 (एफ))	विद्युत के रिन्यूबल संसाधनों को बढ़ावा देना।
3	हानि में कमी के उपाय जैसे समय-समय पर विद्युत चोरी नियंत्रित करने के लिए ‘नेम एंड शेम अभियान’, विभिन्न स्तरों पर हानि को कम करने के लक्ष्य तैयार करना और शीर्ष प्रबंधन को सूचित करने हेतु मीटर के प्रतिस्थापन, हानि में कमी एवं दिन-प्रतिदिन की प्रगति की निगरानी के लिए निष्पादन निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली एमआईएस को कार्यान्वयित करना। (एमओयू का कलॉज 1.3 (आई) i, ii एवं iii)	हानि में कमी
4	30 सितम्बर 2016 तक 100 प्रतिशत फीडर मीटरिंग एवं 30 सितम्बर 2017 तक 100 प्रतिशत वितरण परिवर्तक (डीटी) मीटरिंग। (एमओयू का कलॉज 1.3 (आई) iv एवं v)	सुधारात्मक कार्रवाई के लिए फीडर और डीटी स्तर पर हानियों की निगरानी की क्षमता।
5	सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत धन की संस्वीकृति के अनुसार, मार्च 2018 तक भौतिक फीडर पृथक्करण। (एमओयू का कलॉज 1.3 (आई) viii)	बेहतर भार प्रबंधन और ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में वृद्धि हेतु कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए फीडरों का पृथक्करण।
6	30 जून 2018 तक, कृषि उपभोक्ताओं के अलावा, प्रति माह 500 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं और 31 मार्च 2020 तक, 200 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरों का प्रतिस्थापन। (एमओयू का कलॉज 1.3 (आई) ix)	चोरी को कम करने और मांग पक्ष प्रबंधन गतिविधियों एवं उपभोक्ता जुड़ाव के कार्यान्वयन में मदद करना।
7	2018–19 तक सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत धन की संस्वीकृति के अनुसार, 24x7 के अनुसार, 143.54 लाख बिना संयोजन वाले घरों को ट्राजेक्टरी के अनुसार मीटर युक्त विद्युत उपलब्ध कराना। (एमओयू का कलॉज 1.3 (आई) x)	बिना संयोजन वाले घरों को विद्युत उपलब्ध कराना।
8	मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता हेतु उपायों को करना जैसे कि, घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एलईडी लाइट उपलब्ध कराना, नीतिगत ढांचे के अनुसार चरणबद्ध तरीके से स्ट्रीट लाइट को एलईडी से प्रतिस्थापित करना, कम से कम 10 प्रतिशत मौजूदा कृषि पंपों को ऊर्जा दक्ष पंपों से प्रतिस्थापित करना। (एमओयू का कलॉज 1.3 (जे) i, iii एवं iv)	पीक लोड एवं ऊर्जा उपभोग में कमी।
9	समयबद्ध टैरिफ संशोधन के लिए टैरिफ सम्बन्धी उपायों को करना जिसमें टैरिफ याचिकाओं को समय से दाखिल करना और वितरण कम्पनियों के वार्षिक लेखों को समय पर तैयार करना सम्मिलित है। (एमओयू का कलॉज 1.3 (के))	टैरिफ आदेश का समय पर निर्गत होना।

नोट: उदय एमओयू के प्रावधान

उदय योजना के अन्तर्गत परिचालन टर्नअराउंड के उपायों के कार्यान्वयन की जाँच हेतु, लेखापरीक्षा ने उदय से पूर्व की परिचालन स्थिति, उदय के अन्तर्गत परिचालन गतिविधियों के लक्ष्यों की प्राप्ति और उदय के पश्चात् की परिचालन स्थिति का विश्लेषण किया।

उदय से पूर्व की परिचालन स्थिति तथा उदय के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

3.3 सभी वितरण कम्पनियों की, एटीएंडसी हानि तथा एसीएस एवं एआरआर में अंतर के अनुसार, उदय से पूर्व की परिचालन स्थिति नीचे तालिका 3.2 में वर्णित है।

तालिका 3.2: उदय से पूर्व की परिचालन स्थिति सहित उदय के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

परिचालन मापदण्ड	2015–16 में उदय से पूर्व की स्थिति	लक्ष्य	2019–20 तक वास्तविक उपलब्धि	2019–20 तक उपलब्धि में कमी	2020–21 तक वास्तविक उपलब्धि	2021–22 तक वास्तविक उपलब्धि
एटीएंडसी हानि	39.86 प्रतिशत	मार्च 2020 तक 14.86 प्रतिशत	30.02 प्रतिशत	15.16 प्रतिशत	27.23 प्रतिशत	31.19 प्रतिशत
एसीएस-एआरआर अंतर	₹ - 0.33 प्रति यूनिट	मार्च 2020 तक ₹ 0.06 प्रति यूनिट का अधिशेष	₹ - 0.34 प्रति यूनिट	₹ 0.40 प्रति यूनिट	₹ - 0.94 प्रति यूनिट	₹ - 0.56 प्रति यूनिट

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने एटीएंडसी हानियों को लक्षित स्तर तक कम करने में विफलता और एसीएस एवं एआरआर अंतर को समाप्त न कर पाने के कारणों की संवीक्षा की। लेखापरीक्षा ने पाया किया कि एटीएंडसी हानियों के लक्षित स्तरों को प्राप्त न कर पाने के मुख्य कारण, बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में कमी, एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए लक्षित परिचालन गतिविधियों को पूरा न कर पाना यथा डीटी मीटिंग और उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने के लक्ष्यों को पूरा न कर पाना, फीडर मीटिंग तथा कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए मिश्रित फीडरों को पृथक्करण में विलम्ब, आदि थे।

इसी तरह, बढ़े हुए ब्याज भार, विद्युत क्रय लागत को कम करने में विफलता, टैरिफ याचिकाओं को दाखिल करने में विलम्ब, बकाया/सब्सिडी दावों की वसूली में विफलता आदि के कारण एसीएस एवं एआरआर के अंतर को समाप्त नहीं किया जा सका।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका 3.2 से देखा जा सकता है कि मार्च 2020 तक प्राप्त किये जाने वाले परिकल्पित एटीएंडसी हानियों में लक्षित कमी और एसीएस एवं एआरआर के अंतर को समाप्त करने के लक्ष्य, 2020–21 और 2021–22 में भी प्राप्त नहीं किये जा सके।

परिचालन गतिविधियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम

3.4 लेखापरीक्षा ने उदय योजना के दौरान और उदय के पश्चात् परिचालन गतिविधियों के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पायीं:

एटीएंडसी हानियों में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता

3.4.1 एटीएंडसी हानि, वितरण कम्पनियों के कार्य निष्पादन का एक वास्तविक माप है क्योंकि इसमें तकनीकी हानियाँ¹ एवं वाणिज्यिक हानियाँ² दोनों सम्मिलित हैं। यह ऊर्जा, जिसके लिए भुगतान वसूला गया है, के संदर्भ में सिस्टम में इनपुट ऊर्जा की हानि को दर्शाता है। इस प्रकार, यह वितरण कम्पनियों की संयुक्त बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता से

¹ तकनीकी हानियाँ वह होती हैं जो विद्युत नेटवर्क में निहित प्रतिरोध और खराब पॉवर फैक्टर के कारण ट्रांसफार्मेशन हानियों और वितरण लाइनों पर उच्च हानियों के कारण होती हैं।

² वाणिज्यिक हानियाँ वे हानियाँ हैं जो (i) मीटर में विसंगति (ii) सीधे कटिया द्वारा चोरी और; (iii) संग्रहण अदक्षता के कारण होती हैं।

विपरीत रूप से सम्बन्धित है। एटीएंडसी हानियों की गणना हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पद्धति परिशिष्ट—3.1 में दी गयी है।

उदय एमओयू के अनुसार, सभी वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2019–20 तक एटीएंडसी हानियों को घटाकर 14.86 प्रतिशत तक किया जाना था। हालाँकि, वितरण कम्पनियों की वास्तविक एटीएंडसी हानियाँ 2019–20 में 30.02 प्रतिशत रही, जो 2021–22 में घटने के बजाय और बढ़कर 31.19 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार, वितरण कम्पनियाँ, एटीएंडसी हानियों के उदय में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहीं और यह हानियाँ लक्ष्य से काफी अधिक रहीं। वर्ष 2015–16 से 2021–22³ के दौरान उदय के अन्तर्गत लक्ष्यों की तुलना में वितरण कम्पनियों की वास्तविक एटीएंडसी हानियों की स्थिति परिशिष्ट—3.2 में विस्तृत है।

वितरण कम्पनियाँ उदय एमओयू के अन्तर्गत निर्धारित एटीएंडसी हानि में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोई भी वितरण कम्पनी (केस्को के सिवाय) 2015–16 से 2019–20 के दौरान, उदय एमओयू के अन्तर्गत निहित एटीएंडसी हानियों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। 2019–20 में, केस्को भी लक्ष्य पूरा करने में विफल रही। अग्रेतर, कोई भी वितरण कम्पनी (वर्ष 2020–21 में केस्को के सिवाय) मार्च 2022 के अंत तक एटीएंडसी हानियों के उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। अग्रेतर, यह देखा गया कि तीन वितरण कम्पनियों (एमवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल एवं डीवीवीएनएल) का प्रदर्शन पीवीवीएनएल एवं केस्को की तुलना में अधिक खराब था। यह, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं का प्रतिशत अधिक होने और उच्च वोल्टेज (एचवी) उपभोक्ताओं की संख्या कम होने के कारण था।

उदय एमओयू में निर्दिष्ट लक्ष्य तक एटीएंडसी हानियों को कम करने में वितरण कम्पनियों की विफलता के कारण 2015–16 से 2021–22 के दौरान ₹ 48,350.51 करोड़⁴ मूल्य की ऊर्जा की हानि हुई जैसा कि परिशिष्ट—3.2 में वर्णित है। उच्च एटीएंडसी हानियों के प्रमुख कारणों की चर्चा आगामी प्रस्तर 3.4.2 में की गयी है।

विभाग ने उत्तर में कहा कि विभिन्न कारकों जैसे कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपभोक्ताओं के संख्या में बढ़ोत्तरी, रेलवे एवं अन्य उद्योगों का ओपन एक्सेस के अन्तर्गत प्रतिस्थापित होना, कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति में वृद्धि, यूपीईआरसी द्वारा नियामक अधिभार को समाप्त करना आदि ने वितरण कम्पनियों द्वारा एटीएंडसी लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा पहुंचायी। अग्रेतर, यद्यपि वितरण कम्पनियाँ उदय योजना के अनुसार एटीएंडसी हानि लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकीं, किन्तु उदय योजना अवधि के दौरान एटीएंडसी हानि में 10 प्रतिशत की महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व कमी दर्ज करने में सफल रहीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उदय योजना के अन्तर्गत राज्य के लिए एटीएंडसी हानि में कमी के लक्ष्य अन्य राज्यों को दिए गए लक्ष्यों के बराबर थे। अग्रेतर, वितरण कम्पनियों को एटीएंडसी हानि में कमी के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि उपभोक्ताओं के मामले में, बढ़ाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए थे।

³ लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए वितरण कम्पनियों की उपलब्धि की तुलना उदय एमओयू में निर्दिष्ट 2019–20 के 14.86 प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष की है।


⁴ डीवीवीएनएल: ₹ 11,861.69 करोड़, एमवीवीएनएल: ₹ 14,600.84 करोड़, पीवीवीएनएल: ₹ 6,105.16 करोड़, पीयूवीवीएनएल: ₹ 15,732.43 करोड़ और केस्को: ₹ 50.39 करोड़ ऊर्जा हानि की गणना, वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित की गयी एटीएंडसी हानियों तथा आपूर्ति की औसत लागत पर की गयी है।

उच्च एटीएंडसी हानियों के कारण

3.4.2 लेखापरीक्षा ने देखा कि उच्च एटीएंडसी हानियों के कारण वितरण कम्पनियों की कम बिलिंग दक्षता⁵ एवं संग्रहण दक्षता⁶ थी।

उदय एमओयू के अनुसार, वितरण कम्पनियों को 2019–20 के अंत तक अपनी बिलिंग दक्षता को 88.04 प्रतिशत और संग्रहण दक्षता को 96.71 प्रतिशत तक बढ़ाना था। तथापि, वितरण कम्पनियाँ बिलिंग दक्षता (केस्को को छोड़कर) और संग्रहण दक्षता (पीवीवीएनएल को छोड़कर) के लक्ष्यों को 2019–20 की निर्धारित अवधि तक प्राप्त नहीं कर सकीं जिसे 2021–22 के अंत तक भी (बिलिंग दक्षता के मामले में केस्को को छोड़कर) प्राप्त नहीं किया जा सका। बिलिंग दक्षता एवं संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों की तुलना में, वास्तविक उपलब्धियों का विवरण नीचे चार्ट 3.1 और 3.2 में दिया गया है।

चार्ट 3.1: 2019–20 और 2021–22 तक बिलिंग दक्षता के लक्ष्य एवं उपलब्धि




उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि केस्को को छोड़कर अन्य वितरण कम्पनियाँ बिलिंग दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहीं। 2019–20 की निर्धारित अवधि के अंत तक यह कमी 3.79 प्रतिशत से 9.17 प्रतिशत के मध्य थी। इसके अलावा, केस्को को छोड़कर कोई भी वितरण कम्पनी, 2021–22 के अंत तक भी बिलिंग दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी और यह कमी 5.56 प्रतिशत से 13.54 प्रतिशत के मध्य थी।

⁵ बिलिंग दक्षता, प्रवाहित/आपूर्ति की गयी विद्युत की कुल यूनिटों के विरुद्ध, उपभोक्ताओं को विक्रय/बिल की गयी यूनिटों का अनुपात है।

⁶ संग्रहण दक्षता, बिल किये गए कुल राजस्व के विरुद्ध प्राप्त राजस्व का अनुपात है।

चार्ट 3.2: 2019–20 और 2021–22 तक संग्रहण दक्षता का लक्ष्य एवं उपलब्धि



उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है वितरण कम्पनियाँ संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहीं। 2019–20 की निर्धारित अवधि के अंत तक यह कमी 1.11 प्रतिशत से 19.77 प्रतिशत के मध्य थी। अग्रेतर, कोई भी वितरण कम्पनी 2021–22 के अंत तक भी संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी और यह कमी 3.12 प्रतिशत से 21.52 प्रतिशत के मध्य थी।

जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा अवलोकित किया गया कि बिलिंग दक्षता एवं संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों में कमी के मुख्य कारण, बिना मीटर वाले कनेक्शन पर मीटर लगाने में विफलता, दोषपूर्ण मीटरों की अत्यधिक संख्या एवं उच्च वितरण हानियाँ, उपभोक्ताओं से बकाया वसूली में अपर्याप्त प्रयास, अस्थायी रूप से विच्छेदित (टीडी) व स्थायी रूप से विच्छेदित (पीडी) उपभोक्ताओं से देयों की वसूली नहीं करना तथा चोरी के मामलों में वसूली हेतु निर्धारण की गयी धनराशि की वसूली नहीं करना था, जैसा कि प्रस्तर 3.4.3 और 3.4.4 में चर्चा की गयी है।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि वितरण कम्पनियों की वितरण हानियाँ सामूहिक रूप से 2015–16 में 21.67 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 18.48 प्रतिशत हो गयी एवं संग्रहण दक्षता 2015–16 में 76.78 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 85.85 प्रतिशत हो गयी। पिछले प्रस्तर (प्रस्तर 3.4.1) के उत्तर में वितरण हानि एवं संग्रहण दक्षता के लक्ष्य प्राप्त न होने के विस्तृत कारण बताए गए हैं। अग्रेतर, 2022–23 में वितरण हानि घटकर 16.65 प्रतिशत हो गयी एवं संग्रहण दक्षता बढ़कर 93.57 प्रतिशत हो गयी, जिससे 2022–23 में कुल एटीएंडसी हानि कम हो कर 22.01 प्रतिशत हो गयी।

तथ्य यह है कि वितरण कम्पनियाँ, एमओयू में निर्धारित बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं।

वितरण कम्पनियों की बिलिंग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक

3.4.3 लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित, वितरण कम्पनियों की बिलिंग दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की चर्चा नीचे की गयी है :

(अ) बिना मीटर वाले संयोजनों पर मीटर लगाने में विफलता

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने मार्च 2018 तक बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग के लिए, नवम्बर 2016 में निर्देश निर्गत किये थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियाँ यूपीईआरसी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहीं क्योंकि मार्च 2018 के अंत तक वितरण कम्पनियों में बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की संख्या 54.03 लाख (कुल 196.45 लाख उपभोक्ताओं⁷ का 27.50 प्रतिशत) थी। अग्रेतर, वितरण कम्पनियाँ अक्टूबर 2022 तक भी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकीं क्योंकि 12.34 लाख उपभोक्ता (कुल 319.16 लाख उपभोक्ताओं का 3.87 प्रतिशत) अभी भी बिना मीटर के थे। इसका विवरण नीचे तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: वितरण कम्पनियों के बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की श्रेणीवार स्थिति (उपभोक्ता लाख में)

वर्ष	बिना मीटर ⁸ वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी							योग
	एलएमवी-1	एलएमवी-2	एलएमवी-3	एलएमवी-5	एलएमवी-8	एलएमवी-9	एलएमवी-10	
2015-16	59.24	1.03	0.06	9.06	0.30	0.00	0.91	70.60
2016-17	59.57	0.89	0.05	9.47	0.30	0.00	0.88	71.16
2017-18	50.87	0.80	0.00	1.02	0.07	0.32	0.95	54.03
2018-19	37.82	0.73	0.04	10.95	0.29	0.01	0.93	50.77
2019-20	25.60	0.48	0.02	11.93	0.30	0.00	0.98	39.31
2020-21	12.84	0.16	0.03	12.08	0.23	0.00	0.84	26.18
2021-22	9.02	0.19	0.05	11.77	0.19	0.00	0.83	22.05
2022-23 (अक्टूबर 2022 तक)	0.93	0.05	0.07	10.35	0.17	0.01	0.76	12.34

नोट: यूपीपीसीएल की वाणिज्यिक विवरणी (सीएस)-3

सभी बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की मीटरिंग नहीं होने के कारण वितरण कम्पनियाँ, इन उपभोक्ताओं के ऊर्जा उपभोग को वास्तविक मीटर उपभोग के आधार पर दर्ज नहीं कर सकीं जिससे वितरण कम्पनियों की बिलिंग दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए किये गए प्रयासों के कारण, बिना मीटर वाले उपभोक्ता 2015–16 में 41.13 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 13.70 प्रतिशत हो गए और मई 2022 को और भी कम होकर 6.44 प्रतिशत हो गए। अग्रेतर, 2022–23 के अंत में बिना मीटर वाले उपभोक्ता घटकर 2.08 प्रतिशत हो गए हैं, जो मुख्यतः निजी नलकूप (पीटीडब्ल्यू) उपभोक्ता से सम्बन्धित हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियाँ, मार्च 2018 तक 100 प्रतिशत मीटरिंग के यूपीईआरसी के निर्देशों का पालन नहीं कर सकीं तथा 2022–23 तक भी इसे प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ब) दोषपूर्ण मीटरों की अधिक संख्या

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के क्लॉज 7.18 के अनुसार अनुज्ञाप्तिधारी, दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत, लगे हुए मीटरों की कुल संख्या के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं रखेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015–16 से 2022–23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान वितरण कम्पनियों में दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत (वर्ष 2018–19 और उसके बाद केस्को के सिवाय) निर्धारित मानदण्ड से अधिक था जैसा कि परिशिष्ट-3.3 में वर्णित है और नीचे तालिका 3.4 में संक्षेपित है।

⁷ एलएमवी-1 (घरेलू प्रकाश, पंखा एवं विद्युत), एलएमवी-2 (गैर-घरेलू प्रकाश, पंखा एवं विद्युत), एलएमवी-3 (सार्वजनिक लैप्टॉप), एलएमवी-5 (निजी नलकूप/पम्पिंग सेट), एलएमवी-8 (राज्य नलकूप और पम्प नहरें), एलएमवी-9 (अस्थायी आपूर्ति) और एलएमवी-10 (विभागीय कर्मचारी) श्रेणियों के कुल उपभोक्ता। यहाँ, एलएमवी का मतलब निम्न एवं मध्यम वोल्टेज है।

⁸ एलएमवी-4 (सार्वजनिक और निजी संस्थान हेतु प्रकाश, पंखा एवं विद्युत), एलएमवी-6 (100 एचपी/75 केडब्ल्यू तक के लघु एवं मध्यम विद्युत कनेक्शन) एवं एलएमवी-7 (सार्वजनिक जल कार्य) श्रेणी के उपभोक्ताओं के अन्तर्गत कोई भी बिना मीटर वाले संयोजन नहीं थे।

तालिका 3.4: वितरण कम्पनी—वार दोषपूर्ण मीटरों की स्थिति (प्रतिशत में)

वर्ष	दोषपूर्ण मीटर (प्रतिशत में)				
	डीवीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयूवीवीएनएल	केस्को
2015-16	7.30	9.35	6.53	10.92	8.17
2016-17	20.63	13.14	4.71	16.88	5.93
2017-18	30.90	24.82	8.23	25.61	3.41
2018-19	24.28	21.20	12.88	21.52	1.33
2019-20	15.72	13.62	9.56	20.58	1.39
2020-21	10.13	4.66	4.76	12.57	0.80
2021-22	7.02	3.94	5.90	12.41	0.90
2022-23 (अक्टूबर 2022 तक)	5.06	3.43	4.92	10.90	0.20

ज्ञोत: यूपीईआरसी द्वारा दी गयी सूचना

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वितरण कम्पनियों ने दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिशत में कमी करने में सुधार दर्शाया है फिर भी यह तीन प्रतिशत के निर्धारित मानक से उपर था और यह 2015-16 से 2022-23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान 3.41 से 30.90 प्रतिशत (वर्ष 2018-19 और उसके बाद केस्को के सिवाय) के मध्य रहा। इससे पता चलता है कि वितरण कम्पनियों ने दोषपूर्ण मीटरों की संख्या को कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किये। दोषपूर्ण मीटरों की अत्यधिक संख्या ने वितरण कम्पनियों की बिलिंग दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

विभाग ने उत्तर में कहा कि वितरण कम्पनियों ने दोषपूर्ण मीटरों को समय पर परिवर्तित करने के लिए अधिकतम प्रयास किया है। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2022 तक दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत घटकर 7.10 प्रतिशत तक हो गया। मीटरों की समय पर आपूर्ति में कमी के कारण भी दोषपूर्ण मीटरों की संख्या अधिक है। अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के अन्त तक तीन वितरण कम्पनियों यथा डीवीवीएनएल, पीवीवीएनएल एवं केस्को में, दोषपूर्ण मीटरों की संख्या घटकर तीन प्रतिशत से नीचे आ गयी हैं तथा शेष वितरण कम्पनियों में दोषपूर्ण मीटर के मामले लगातार कम हो रहे हैं।

तथ्य यह है कि 2015-16 से 2021-22 के दौरान दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिशत को तीन प्रतिशत के मानक के भीतर प्राप्त नहीं किया जा सका तथा 2022-23 तक भी सभी वितरण कम्पनियों में इस मानक को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(स) उच्च वितरण हानियाँ

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियों की वितरण हानियाँ (वर्ष 2015-16 में डीवीवीएनएल, वर्ष 2015-16 से 2017-18 में पीवीवीएनएल एवं वर्ष 2015-16 से 2019-20 में केस्को के सिवाय) यूपीईआरसी द्वारा दू-अप याचिका में अनुमोदित हानियों की तुलना में काफी अधिक थीं। वर्ष 2015-16 से 2021-22 की अवधि में सम्बन्धित वास्तविक एवं अनुमोदित वितरण हानियों का विवरण नीचे तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकृत वितरण हानियाँ

(प्रतिशत में)

वर्ष/ वितरण कम्पनी	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	वितरण हानि		वितरण हानि		वितरण हानि		वितरण हानि		वितरण हानि		वितरण हानि		वितरण हानि	
	वास्तविक	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित												
डीवीवीएनएल	24.45	24.45	24.43	23.82	25.09	20.07	21.95	16.25	22.16	12.10	25.90	11.80	25.64	11.33
एमवीवीएनएल	22.20	21.03	22.84	21.52	22.19	19.16	23.26	16.09	22.59	11.80	20.22	11.51	17.36	11.04
पीवीवीएनएल	18.65	18.65	18.57	18.57	17.43	17.43	17.64	14.83	18.11	11.80	17.85	11.51	17.98	11.04
पीयूवीवीएनएल	23.02	20.93	22.74	21.57	23.16	19.73	21.75	16.43	20.47	12.20	20.65	11.83	20.15	11.36
केस्को	18.34	18.34	16.26	16.26	13.00	13.00	8.51	8.51	7.76	7.76	10.45	8.42	9.61	8.25

ज्ञोत: यूपीईआरसी के टैरिफ आदेश/दू-अप आदेश

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि अधिक वितरण हानियों के कारण वितरण कम्पनियों की बिलिंग दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यूपीईआरसी (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2014 के विनियम 18.1 के अनुसार नियंत्रणीय कारक होने के बावजूद वितरण कम्पनियों हानियों को कम करने में विफल रहीं।

विभाग ने उत्तर दिया कि उच्च वितरण हानियाँ, ग्रामीण उपभोक्ताओं, जो भौगोलिक रूप से अधिक विविध थे, में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के घंटों में वृद्धि, एचटी उपभोक्ताओं का ओपन एक्सेस में प्रतिस्थापन आदि कारणों से हुई जिससे लाईन लॉस अधिक हुआ। अग्रेतर, टैरिफ विनियमों में पर्याप्त प्रावधान होने के बावजूद, यूपीईआरसी ने, दू—अप आदेश निर्गत करते समय, उच्च वितरण हानि के कारण हुये घाटे को साझा करने की अनुमति नहीं दी, जिसके विरुद्ध वितरण कम्पनियों द्वारा अपटेल में अपील दायर की गयी है। 2022–23 में वितरण हानियाँ कम होकर 16.65 प्रतिशत हो गयी है एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए वितरण कम्पनियों लगातार कार्य कर रहीं हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित कम्पनी—वार वितरण हानियों के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका, यद्यपि नियंत्रणीय कारक होने के कारण वितरण कम्पनियों द्वारा इसे कम किया जा सकता था।

वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक

3.4.4 वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया है, की चर्चा नीचे की गयी है :

(अ) राजस्व बकाया की वसूली में विफलता

वितरण कम्पनियों अपने उपभोक्ताओं को बिल किये गए राजस्व की वसूली हेतु उत्तरदायी हैं। बिल किये गए राजस्व की वसूली न करने के कारण बकायों का संचय, वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वितरण कम्पनियों को राजस्व की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। मार्च 2016 से मार्च 2022 के दौरान वितरण कम्पनियों के बकायों का विवरण नीचे तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: वितरण कम्पनियों के बकायों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डीवीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयूवीवीएनएल	केस्को	सभी वितरण कम्पनियाँ
2015-16	8,813.39	7,531.71	4,888.88	12,584.29	2,025.00	35,843.27
2016-17	10,785.25	10,143.75	6,787.75	16,800.11	2,257.11	46,773.97
2017-18	12,590.11	13,011.72	8,329.38	20,360.28	2,517.89	56,790.23
2018-19	15,212.10	16,136.09	10,042.98	24,098.04	2,730.69	68,180.63
2019-20	18,289.80	18,647.02	10,819.89	27,225.55	2,948.72	77,930.98
2020-21	19,502.07	20,957.69	10,742.49	29,050.87	3,045.51	83,298.63
2021-22	18,599.05	22,485.80	11,587.49	31,146.60	3,376.24	87,195.18

नोट: वितरण कम्पनियों के वार्षिक वित्तीय लेखे

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि वितरण कम्पनियों का कुल बकाया 2015–16 में ₹ 35,843.27 करोड़ से 143 प्रतिशत बढ़कर 2021–22 में ₹ 87,195.18 करोड़ हो गया।

18 चयनित मण्डल कार्यालयों के अन्तर्गत 64 वितरण खण्डों⁹ के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि बकाया में लगातार वृद्धि के मुख्य कारण, विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने में विफलता और लाइव उपभोक्ताओं¹⁰, अस्थायी रूप से विच्छेदित एवं स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं तथा

⁹ 36 शहरी खण्ड और 28 ग्रामीण खण्ड।

¹⁰ लाइव उपभोक्ता वे हैं जिनका संयोजन विच्छेदित नहीं किया गया है।

चोरी के मामलों में बकाया की वसूली के लिए, अपर्याप्त प्रयास थे। इन पर अगले प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

(i) उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली में अपर्याप्त प्रयास

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के क्लॉज 4.36 के अनुसार उपभोक्ता को दिए गए नोटिस में इंगित विच्छेदन तिथि, जो 15 दिन से कम नहीं होगी, के अंदर यदि विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है तो आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 64 खण्डों के अक्टूबर 2022 के बिलिंग डाटा के अनुसार, 17.10 लाइव उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 4,474.28 करोड़ की धनराशि का विद्युत प्रभार तीन माह¹¹ से अधिक समय से बकाया था। खण्ड कार्यालय, विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के क्लॉज 4.36 के अनुसार उनसे देय धनराशि की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने अथवा उनके संयोजन को विच्छेदित करने में विफल रहे। खण्ड कार्यालयों की ओर से निष्क्रियता ने वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

उत्तर में विभाग ने कहा कि वितरण कम्पनियों ने उपभोक्ताओं से बकाया धनराशि की वसूली के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है जैसे कि कमीशन के आधार पर एजेंसियों की नियुक्ति, मीटर रीडरों को प्री-पेड वॉलेट सिस्टम द्वारा राजस्व एकत्र करने की अनुमति देना, वन टाइम सेटलमेंट, आसान किस्त योजना जैसी विभिन्न योजनाएं प्रारम्भ करना आदि। तमाम प्रयासों से संग्रहण दक्षता वर्ष 2015–16 में 76.78 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 85.85 प्रतिशत हो गयी। अग्रेतर, 2022–23 में संग्रहण दक्षता बढ़कर 93.57 प्रतिशत हो गयी तथा संग्रहण दक्षता में और सुधार करने के लिए सभी स्तरों पर नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों के अनुसार खण्ड कार्यालयों ने चूककर्ता उपभोक्ताओं का त्वरित विच्छेदन नहीं किया जिसके कारण वर्ष दर वर्ष बकाया में निरंतर वृद्धि होती गयी।

(ii) अस्थायी विच्छेदन के मामलों के सापेक्ष देय धनराशि की वसूली में विफलता

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 का क्लॉज 4.38 (बी) प्रावधानित करता है कि जिस कारण से आपूर्ति अस्थायी रूप से विच्छेदित की गयी थी, यदि, उसका निदान, 6 माह की अवधि के अंदर नहीं किया जाता है तो आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्टूबर 2022 तक 1.94 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित किये गए थे जिनके विरुद्ध ₹ 578.21 करोड़ वसूली के लिए लंबित थे। अस्थायी विच्छेदन की तिथि से 6 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी खण्ड कार्यालय ना तो बकाया धनराशि की वसूली कर पाये और न ही विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार स्थायी रूप से संयोजन विच्छेदित कर पाये। इससे वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि अस्थायी विच्छेदित मामलों की देयता की वसूली के लिए सर्वोत्तम प्रयास किये जा रहे हैं एवं मासिक अनुश्रवण किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, निर्धारित समय के भीतर इन संयोजनों को, खण्ड कार्यालयों द्वारा स्थायी रूप से विच्छेदित नहीं किया गया।

¹¹ बकाया स्थिति का विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा तीन माह का तर्कसंगत समय लिया गया है, जो भुगतान की देय तिथि से पहले बिलों के प्रेषण के लिए 15 दिन, बिलों का भुगतान नहीं होने की स्थिति में विच्छेदन करने के लिए न्यूनतम 15 दिनों का समय तथा उपभोक्ताओं से 45 दिनों की बिल धनराशि के बराबर ली गयी प्रतिभूति धनराशि को मानते हुए लिया गया है।

(iii) स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं से देयता की वसूली में विफलता

लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्टूबर 2022 तक 2.05 लाख उपभोक्ताओं को स्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था, जिनके विरुद्ध ₹ 2,716.09 करोड़ वसूली के लिए लंबित थे। खण्ड कार्यालय इन उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने में विफल रहे, जिससे वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि स्थायी रूप से विच्छेदित किये गए मामलों में देय धनराशि की वसूली के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। जहां राजस्व की वसूली नहीं हो सकी, वहाँ चूककर्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं।

तथ्य यह है कि स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं के विरुद्ध देय वसूली के लिए लम्बित थे।

(iv) चोरी/अनियमितता के मामलों में निर्धारित धनराशि की वसूली में विफलता

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2017–18¹² से 2022–23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान खण्ड कार्यालयों द्वारा ₹ 573.13 करोड़ मूल्य के विद्युत चोरी एवं अनाधिकृत उपयोग के 1,03,461 मामलों का निर्धारण किया गया था जिनके विरुद्ध, 36,947 मामलों में केवल ₹ 114.76 करोड़ (20.02 प्रतिशत) की वसूली की गयी। खण्ड कार्यालयों ने आपूर्ति संहिता, 2005 के क्लॉज് 8.1 एवं 8.2 के उल्लंघन में विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन, मीटर और सर्विस लाइन हटाने जैसी उचित कार्रवाई नहीं की और उन उपभोक्ताओं के विरुद्ध नामित विशेष अदालत में मामला भी दर्ज नहीं कराया जिन्होंने निर्धारित धनराशि जमा नहीं करायी। परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2022 तक 66,514 चोरी के मामलों में ₹ 458.37 करोड़ की वसूली नहीं हो पायी। इससे वितरण कम्पनियों की संग्रहण दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्तर में विभाग ने कहा कि निर्धारित चोरी के मामलों में राजस्व वसूली के लिए उचित कार्रवाई की गयी है। की गयी छापेमारी, निर्धारित राजस्व और ऐसे राजस्व की वसूली के त्वरित एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए समर्पित आरएआईडी (रेड) पोर्टल चालू किया गया है। जहाँ भी वितरण कम्पनियों द्वारा राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी, वहाँ वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षित खण्डों में चोरी के मामलों के विरुद्ध वसूली मात्र 20.02 प्रतिशत ही थी।

(ब) विभागीय उपभोक्ताओं से टैरिफ दर की बजाए निश्चित दर की वसूली

यूपीईआरसी टैरिफ आदेश दिनांक 18 जून 2015 में प्रावधान किया गया है कि बिना मीटर वाले विभागीय उपभोक्ताओं (एलएमवी–10 श्रेणी) को 31 दिसम्बर 2015 तक मीटर युक्त उपभोक्ताओं में परिवर्तित कर दिया जाएगा और तब तक टैरिफ आदेश में प्रदान की गयी निश्चित दरों पर बिल किया जाएगा। 01 जनवरी 2016 से, इन एलएमवी–10 श्रेणी के उपभोक्ताओं से एलएमवी–1 श्रेणी (घरेलू) उपभोक्ताओं के लिए लागू दरों के अनुसार प्रभार लिया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियों ने, 2017–18 तक, दिनांक 18 जून 2015 के टैरिफ आदेश में अधिसूचित निश्चित दरों और उसके बाद यूपीपीसीएल द्वारा निश्चित¹³ दरों के अनुसार, विभागीय उपभोक्ताओं (एलएमवी–10 श्रेणी) से विद्युत प्रभार वसूल किया। यह टैरिफ आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसके अनुसार, जनवरी 2016 से, एलएमवी–10 श्रेणी के उपभोक्ताओं से एलएमवी–1 श्रेणी (घरेलू) उपभोक्ताओं हेतु प्रभारित दरों के अनुसार, प्रभार लिया जाना अपेक्षित था। टैरिफ आदेशों का अनुपालन न करने

¹² 2017–18 से गणना की गयी क्योंकि रेड पोर्टल पर डाटा 2017–18 से उपलब्ध था।

¹³ दिनांक 07 फरवरी 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 58–मुख्य अभियंता/वा–1/एलएमवी–10/(2017–18) द्वारा।

के कारण यूपीपीसीएल 2016–17 से 2020–21 के दौरान ₹ 1,761.55 करोड़ के राजस्व अंतर की वसूली नहीं कर सका।

यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि यूपीईआरसी द्वारा वर्ष 2016–17 से 2020–21 के लिए पारित ट्रॉ-अप आदेश में, आयोग ने उपर्युक्त के राजस्व अंतर (टैरिफ़ के अनुसार वसूल किये जाने वाले राजस्व और वास्तविक रूप से विभागीय उपभोक्ताओं से वसूल किये गए राजस्व में अंतर) को वितरण कम्पनियों की डीम्ड आय माना।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों/पेंशनभोगियों से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रभार की वसूली की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत टैरिफ़ के अनुसार विभागीय उपभोक्ताओं की बिलिंग नहीं की जा रही है।

संस्कृति 3:

वितरण कम्पनियों को एटीएंडसी हानियों में लक्षित कमी की प्राप्ति और बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में समग्र सुधार को सुनिश्चित करना चाहिए। अग्रेतर, वितरण कम्पनियों को बिना मीटर वाले संयोजनों जिसमें विभागीय उपभोक्ता भी सम्मिलित हैं, की मीटरिंग समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिए, दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिशत में अनुमन्य सीमा तक कमी करनी चाहिए और उपभोक्ताओं से बकायों की समयबद्ध वसूली के लिए प्रयास करना चाहिए।

एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करने में विफलता

3.4.5 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (ई) के अनुसार, वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2019–20 तक एसीएस-एआरआर के मध्य अंतर को समाप्त करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियाँ एसीएस एवं एआरआर के मध्य अंतर को समाप्त नहीं कर सकीं जैसा कि नीचे तालिका 3.7 में वर्णित है।

तालिका 3.7: वितरण कम्पनियों के एसीएस-एआरआर अंतर के लक्ष्य एवं उपलब्धि

वितरण कम्पनी	एसीएस-एआरआर अंतर (₹ प्रति यूनिट में)			
	2019–20 तक लक्ष्य	2019–20 तक उपलब्धि	2020–21 तक उपलब्धि	2021–22 तक उपलब्धि
डीवीवीएनएल	0.06	-0.25	-0.87	-1.15
एमवीवीएनएल	0.06	-0.29	-0.39	-0.84
पीवीवीएनएल	0.06	-0.31	-1.12	-0.20
पीयूवीवीएनएल	0.06	-0.46	-1.32	-0.20
केरस्को	0.06	-0.65	-0.50	-0.58
सभी वितरण कम्पनियाँ	0.06	-0.34	-0.94	-0.56

चौथा: यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि कोई भी वितरण कम्पनी 2021–22 तक एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त नहीं कर सकी। लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कारण आपूर्ति की लागत को राजस्व वसूली से समायोजित नहीं किया जा सका। लक्ष्यों को प्राप्त न करने के मुख्य कारण, विद्युत क्रय लागत को कम करने में विफलता, यूपीईआरसी द्वारा मानदण्डों से अधिक किये गये व्यय की अस्वीकृति और राजस्व वसूली में भी सुधार करने में विफलता है जिनकी चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों 3.4.6 एवं 3.4.7 में की गयी है। अग्रेतर, बिलिंग और बकाया राशि की वसूली में खामियों के कारण, राजस्व वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियों के पास धन की कमी हो गयी और फलस्वरूप विद्युत उत्पादकों के बिलों के भुगतान में विलम्ब हुआ, जिससे विलम्बित भुगतान अधिभार का भुगतान करना पड़ा। इससे विद्युत की औसत लागत में और वृद्धि हुई जिससे एसीएस-एआरआर अंतर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

उत्तर में विभाग ने कहा कि प्रमुख उद्योगों के ओपन एक्सेस में प्रतिस्थापित होने, ग्रामीण उपभोक्ता आधार में वृद्धि, कृषि उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति में वृद्धि, यूपीईआरसी द्वारा नियामक अधिभार को समाप्त करना, यूपीईआरसी द्वारा विभिन्न अस्वीकृतियाँ आदि के कारण आय वृद्धि में बाधाओं के बावजूद, वितरण कम्पनियों का प्रति यूनिट ऊर्जा इनपुट के सापेक्ष राजस्व आकलन, 2015–16 में ₹ 4.09 /केडब्ल्यूएच से बढ़कर 2019–20 में ₹ 4.82 /केडब्ल्यूएच हो गया। कोयले की कीमतों, रेलवे परिवहन प्रभारों, करों एवं शुल्कों आदि में वृद्धि के कारण विद्युत क्रय लागत को अनुकूलित नहीं किया जा सका। अग्रेतर, ग्रामीण उपभोक्ताओं से अपर्याप्त राजस्व संग्रह ने वितरण कम्पनियों को कार्यशील पूँजी ऋण लेने के लिए विवश किया, जिससे ब्याज का भार बढ़ा। यह भी कहा गया कि उच्च एसीएस–एआरआर अंतर का एक प्रमुख कारण, विभिन्न अनियंत्रणीय कारणों की वजह से विद्युत क्रय लागत में वृद्धि है और लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए पिछले चार वर्षों से उपभोक्ता टैरिफ में कोई वृद्धि न होना भी एक कारण है।

तथ्य यह है कि वितरण कम्पनियाँ विभिन्न नियंत्रणीय कारकों के बावजूद आपूर्ति की औसत लागत को कम करने और औसत वसूली योग्य राजस्व में वृद्धि करने में विफल रहीं जिससे एमओयू में परिकल्पित एसीएस–एआरआर अंतर को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका जिसकी चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

आपूर्ति की औसत लागत को प्रभावित करने वाले कारक

3.4.6 लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित मुख्य कारक जो आपूर्ति की औसत लागत को प्रभावित करते हैं, की चर्चा नीचे की गयी है :

(अ) औसत विद्युत क्रय लागत को कम करने में विफलता

यूपीपीसीएल राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनियों/अन्य विद्युत उत्पादकों से विद्युत क्रय करता है और इसे वितरण कम्पनियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विक्रय करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसे कई मामले थे जहां यूपीपीसीएल/वितरण कम्पनियों के स्तर पर विफलताओं/कमियों के कारण विद्युत क्रय लागत को कम नहीं किया जा सका जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है। इसने विद्युत आपूर्ति की औसत लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

(i) विद्युत उत्पादकों को किये गए विलंबित भुगतान अधिभार के भुगतान की यूपीईआरसी द्वारा स्वीकृति न देना

लेखापरीक्षा ने देखा कि बिलों के विलंबित भुगतान के कारण यूपीपीसीएल ने उत्पादकों के मासिक विद्युत क्रय बिलों पर विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) का भुगतान किया था। 2018–19¹⁴ से 2020–21 के दौरान अधिभार के भुगतान का विवरण तालिका 3.8 में नीचे दिया गया है।

तालिका 3.8: यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकृत किया गया उत्पादकों को प्रदत्त विलंबित भुगतान अधिभार

वित्तीय वर्ष	यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकृत किया गया विद्युत उत्पादकों को प्रदत्त विलंबित भुगतान अधिभार (₹ करोड़ में)
2018-19	1,133.67
2019-20	1,447.06
2020-21	3,384.40
योग	5,965.13

झोत: सम्बन्धित वर्षों के यूपीईआरसी के टैरिफ आदेश/ट्रू-अप आदेश

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूपीपीसीएल, उत्पादकों के बिलों का नियत समय में भुगतान नहीं कर सका जिसके कारण उसे विलंबित भुगतान अधिभार वहन करना पड़ा। यूपीईआरसी ने वर्ष 2018–19 से 2020–21 में, टैरिफ को ट्रू-अप करते समय, विद्युत क्रय लागत से एलपीएस को अस्वीकृत कर दिया। उत्पादकों को एलपीएस भुगतान की

¹⁴ वर्ष 2015–16 से 2017–18 के ट्रू-अप आदेशों में एलपीएस की अस्वीकृति नहीं की गयी थी।

अस्वीकृति का प्रभाव यह था कि यह अधिभार उपभोक्ताओं से टैरिफ़ के माध्यम से वसूल नहीं किया जा सका। इसने विद्युत आपूर्ति की औसत लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उत्तर में, विभाग ने स्वीकार किया कि खराब राजस्व वसूली के कारण वितरण कम्पनियाँ समय पर उत्पादकों के बिलों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थीं इसलिए एलपीएस का भुगतान करना पड़ा।

(ii) अन्य राज्यों से विद्युत क्रय की अस्वीकृति

लेखापरीक्षा ने देखा कि कुछ सीमावर्ती जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित अपने लाइसेंस क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति के लिए वितरण कम्पनियों ने अन्य राज्यों की वितरण कम्पनियों से अतिरिक्त विद्युत क्रय किया जैसा कि नीचे तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: अननुमोदित स्रोतों से विद्युत का क्रय

वर्ष	वितरण कम्पनी	ऊर्जा का स्रोत	धनराशि (₹ करोड़ में)
2018-19	पीवीवीएनएल	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल)	0.30
2018-19	पीयूवीवीएनएल	साऊथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल)	6.19
2019-20	पीवीवीएनएल	यूएचबीवीएनएल	0.37
2019-20	पीयूवीवीएनएल	एसबीपीडीसीएल	8.57
2020-21	पीवीवीएनएल	यूएचबीवीएनएल	0.40
2020-21	पीयूवीवीएनएल	उत्पादकों से प्रत्यक्ष क्रय	6.47
2021-22	पीवीवीएनएल	यूएचबीवीएनएल	0.44
2021-22	पीयूवीवीएनएल	उत्पादकों से प्रत्यक्ष क्रय	7.95
योग			30.69

स्रोत: यूपीईआरसी के टैरिफ़ आदेश/ट्रॉ—अप आदेश

लेखापरीक्षा ने देखा कि अन्य राज्यों की वितरण कम्पनियों से विद्युत के क्रय को यूपीईआरसी द्वारा 2018–19 से 2021–22 तक की ट्रॉ—अप याचिकाओं में इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया था कि विद्युत क्रय यूपीईआरसी के पूर्व—अनुमोदन के बिना की गयी थी। चूँकि वितरण कम्पनियाँ अतिरिक्त विद्युत के क्रय हेतु यूपीईआरसी से पूर्व अनुमोदन लेने में विफल रहीं इसलिए विद्युत की ऐसी खरीद का व्यय वितरण कम्पनियों को वहन करना पड़ा। इसने विद्युत आपूर्ति की औसत लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि अन्य राज्यों के साथ हस्ताक्षरित समझौते को मानते हुए वितरण कम्पनियों द्वारा इस प्रकार का व्यय लम्बे समय से किया जा रहा है। ट्रॉ—अप याचिकाओं में ऐसी विद्युत क्रय लागत स्वीकृत कराने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, यूपीईआरसी द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियाँ अन्य राज्यों से अतिरिक्त विद्युत क्रय के लिए यूपीईआरसी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहीं जिसके परिणामस्वरूप यूपीईआरसी ने इन व्ययों को अस्वीकृत कर दिया।

(ब) यूपीईआरसी द्वारा मानदण्डों से किये गये अधिक व्यय को अस्वीकृत किया जाना

यूपीईआरसी (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ़) विनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, वितरण कम्पनियों द्वारा किये गए व्ययों की निर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर स्वीकृती दी जाती है। निर्धारित मानदण्डों के अधिक किसी भी व्यय को यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियाँ अपनी लागत को यूपीईआरसी के मानदण्डों के अंदर रखने में विफल रहीं। यूपीईआरसी ने वर्ष 2015–16 से 2020–21 की टैरिफ़ याचिकाओं का ट्रॉ—अप करते हुए कर्मचारी लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, मरम्मत

एवं रखरखाव व्यय, यूपीपीसीएल के परिचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) व्यय तथा मूल्यहास जैसे प्रमुख व्ययों के एक अंश को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि व्यय निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं था। वितरण कम्पनियों द्वारा किये गए दावे और उनके विरुद्ध यूपीईआरसी द्वारा किये गए अनुमोदन का विवरण नीचे तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकृत व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	कर्मचारी लागत	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	यूपीपीसीएल ओएंडएम व्यय	मूल्यहास	कुल अस्वीकृत व्यय
2015-16	दावाकृत	2,265.74	300.04	870.35	255.55	1,921.64	
	अनुमत	2,019.63	354.84	1,036.10	0	1,892.16	
	अंतर	246.11	-54.80	-165.75	255.55	29.48	310.59
2016-17	दावाकृत	2,347.76	321.97	913.66	202.13	2,074.59	
	अनुमत	2,354.61	320.29	907.94	0	1,962.30	
	अंतर	-6.85	1.68	5.72	202.13	112.29	314.97
2017-18	दावाकृत	3,808.54	695.65	2,190.66	238.04	1,405.00	
	अनुमत	2,162.40	548.20	1,883.84	0	1,209.34	
	अंतर	1,646.14	147.45	306.82	238.04	195.66	2,534.11
2018-19	दावाकृत	2,447.54	1,887.66	2,232.34	290.69	1,299.03	
	अनुमत	2,447.54	739.45	2,175.73	0	1,114.54	
	अंतर	0	1,148.21	56.61	290.69	184.49	1,680.00
2019-20	दावाकृत	2,869.41	2,275.53	2,483.69	121.07	1,097.16	
	अनुमत	2,794.92	736.70	2,458.53	0	1,355.00	
	अंतर	74.49	1,538.83	25.16	121.07	-257.84	1,501.71
2020-21	दावाकृत	3,839.72	804.68	2,531.50	-	2,856.41	
	अनुमत	2,587.75	692.73	1,912.15	-	1,165.19	
	अंतर	1,251.97	111.95	619.35	-	1,691.22	3,674.49
2021-22	दावाकृत	4,096.93	824.13	2,592.67	-	1,650.86	
	अनुमत	3,124.28	782.76	2,177.66	-	1,577.16	
	अंतर	972.65	41.37	415.01	-	73.70	1,502.73
कुल अंतर		4,184.51	2,934.69	1,262.92	1,107.48	2,029.00	11,518.60

नोट: यूपीईआरसी का टैरिफ आदेश/ट्रैक-अप आदेश

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि यूपीईआरसी द्वारा व्ययों के महत्वपूर्ण भाग को निम्नांकित कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया :

- कर्मचारी लागत, प्रशासनिक और मरम्मत एवं रखरखाव व्यय, नियंत्रणीय कारक थे, इसलिए इन्हें वितरण कम्पनियों द्वारा मानदण्डों के अंदर बनाए रखा जा सकता था।
- यूपीपीसीएल के ओएंडएम व्ययों की अनुमति नहीं दी गयी क्योंकि, विद्युत का क्रय, वितरण कम्पनियों का उत्तरदायित्व था, जिसके लिए आयोग ने वितरण कम्पनियों को पर्याप्त ओएंडएम व्ययों की अनुमति दी थी।
- यूपीईआरसी (बहुर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2019 में निर्धारित सकल अचल परिसम्पत्ति आधार का गलत आकलन और मूल्यहास की गणना की पद्धति में बदलाव के कारण मूल्यहास को अस्वीकार कर दिया गया।

परिणामस्वरूप, अस्वीकृत व्यय को वितरण कम्पनियों द्वारा वहन करना पड़ा जिससे विद्युत आपूर्ति की औसत लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी।

यूपीपीसीएल ने उत्तर में कहा कि टैरिफ विनियमों के अनुसार, मानदण्डों से अधिक व्यय, यूपीईआरसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और इसे वितरण कम्पनियाँ वहन किया गया हैं। अग्रेतर, यूपीपीसीएल ने इस सम्बन्ध में माननीय अपटेल में अपील दायर की है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियाँ व्ययों को टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट स्वीकार्य सीमा के अन्तर्गत रखने में विफल रहीं। इसके अतिरिक्त, अपटेल ने पहले भी वितरण कम्पनियों की इस प्रकार की अपील¹⁵ को खारिज कर दिया था।

संस्कृति 4:

वितरण कम्पनियों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

औसत राजस्व प्राप्ति को प्रभावित करने वाले कारक

3.4.7 लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित औसत राजस्व प्राप्ति को प्रभावित करने में, बिना मीटर वाले कनेक्शनों पर मीटर लगाने में विफलता, दोषपूर्ण मीटरों की अत्यधिक संख्या, विभागीय उपभोक्ताओं से टैरिफ दर के बजाय निश्चित दर की वसूली तथा समय पर टैरिफ याचिकाएं दाखिल करने में विफलता और टैरिफ का पुनर्निधारण न करना, मुख्य कारक थे जिन पर प्रस्तर **3.4.3 (अ), (ब), 3.4.4 (ब)** और **3.4.8** में चर्चा की गयी है।

टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करने में विफलता

3.4.8 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (के) (ii) में प्रावधान है कि वितरण कम्पनियाँ यूपीईआरसी के समक्ष समग्र राजस्व आवश्यकता¹⁶/टैरिफ याचिका को समय पर दाखिल करेंगी ताकि उस वर्ष के लिए टैरिफ आदेश शीघ्रातिशीघ्र निर्गत किया जा सके। समय-समय पर प्रभावी वितरण टैरिफ विनियमों¹⁷ में आगामी वर्षों के टैरिफ को अंतिम रूप देने के लिए एआरआर/टैरिफ याचिका¹⁸ दाखिल करने की समय-सीमा उल्लिखित की गयी है और सभी वितरण कम्पनियों द्वारा इसका अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। अग्रेतर, विनियम यह भी प्रावधानित करता है कि आयोग, एआरआर/टैरिफ निर्धारण के लिए पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से 120 दिनों की अवधि के अंदर और जनता से प्राप्त सभी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के बाद, ऐसे संशोधनों या ऐसी शर्तों के साथ आवेदन को स्वीकार करते हुए टैरिफ आदेश निर्गत करेगा जैसा कि उस आदेश में निर्दिष्ट हो।

लागू टैरिफ विनियमों के अनुसार दाखिल किये जाने हेतु निर्धारित समय-सीमा की तुलना में वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गयी टैरिफ याचिकाओं का विवरण नीचे तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11 टैरिफ याचिकाओं को दाखिल करने में विलम्ब

वितरण कम्पनी/वर्ष	विनियमों के अनुसार लक्ष्य तिथि	दाखिल करने की तिथि					टैरिफ याचिका दाखिल करने में विलम्ब
		डीवीबीएनएल	एमवीबीएनएल	पीवीबीएनएल	पीयूवीबीएनएल	केस्को	
2016-17	30-11-15	07-12-15	07-12-15	07-12-15	07-12-15	30-11-15	7 दिन ¹⁹
2017-18	01-11-16	21-06-17	21-06-17	21-06-17	21-06-17	30-11-16	232 दिन ²⁰

¹⁵ 2014 की अपील संख्या 128 में अपटेल का दिनांक 23 नवम्बर 2015 का आदेश।

¹⁶ समग्र राजस्व आवश्यकता का अर्थ है, लाइसेंसीकृत व्यवसाय से सम्बन्धित लागतें, जो इन विनियमों के अनुसार, यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित टैरिफ से वसूल किये जाने के लिए अनुमत हैं।

¹⁷ अप्रैल 2020 से प्रभावी यूपीईआरसी (वितरण और पारेषण के लिए बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2019, अप्रैल 2015 से प्रभावी यूपीईआरसी (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2014।

¹⁸ वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वर्ष 1 नवम्बर/30 नवम्बर या उससे पूर्व, सभी प्रकार से पूर्ण एआरआर/टैरिफ याचिकाएं दाखिल करेगा।

¹⁹ केस्को के सिवाय।

²⁰ केस्को के सिवाय, जहाँ विलम्ब 29 दिनों का था।

वितरण कम्पनी/ वर्ष	विनियमों के अनुसार लक्ष्य तिथि	दाखिल करने की तिथि					टैरिफ याचिका दाखिल करने में विलम्ब
		डीवीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयूवीवीएनएल	केस्को	
2018-19	01-11-17	29-10-18	29-10-18	29-10-18	29-10-18	29-10-18	362 दिन ²¹
2019-20	01-11-18	11-03-19	11-03-19	11-03-19	11-03-19	11-03-19	130 दिन
2020-21	30-11-19	30-06-20	30-06-20	01-07-20	30-06-20	29-06-20	213 दिन ²²
2021-22	30-11-20	22-02-21	22-02-21	22-02-21	22-02-21	22-02-21	84 दिन
2022-23	30-11-21	08-03-22	08-03-22	08-03-22	08-03-22	08-03-22	98 दिन

च्रोतः वितरण कम्पनियों द्वारा यूपीईआरसी में दाखिल टैरिफ याचिकाएँ

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि विनियम एवं उदय एमओयू के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्दिष्ट समयसीमा के उल्लंघन में वितरण कम्पनियों ने 2016-17 से 2022-23 के दौरान टैरिफ याचिकाएं 7 दिनों से लेकर 362 दिनों के विलम्ब के साथ प्रस्तुत की तथा यूपीईआरसी द्वारा मांगी गयी अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में भी वितरण कम्पनियों के स्तर पर विलम्ब था, जिसके परिणामस्वरूप यूपीईआरसी द्वारा टैरिफ आदेश निर्गत करने में विलम्ब हुआ। टैरिफ के अन्तिमीकरण में विलम्ब के विवरण नीचे तालिका 3.12 में दिये गये हैं।

तालिका 3.12: टैरिफ के अन्तिमीकरण में विलम्ब

वर्ष	यूपीईआरसी के ऐडमिटेंस आर्डर की तिथि ²³	यूपीईआरसी द्वारा टैरिफ आदेश के अन्तिमीकरण की तिथि	सम्बन्धित वर्ष ²⁴ के, 1 अप्रैल से आगणित टैरिफ के अन्तिमीकरण में विलम्ब
2016-17	29-03-16	01-08-16	4 माह
2017-18	04-09-17	30-11-17	8 माह
2018-19	13-11-18	22-01-19	10 माह
2019-20	01-07-19	03-09-19	5 माह
2020-21	28-07-20	11-11-20	7 माह
2021-22	08-04-21	29-07-21	4 माह
2022-23	21-04-22	20-07-22	3 माह

च्रोतः यूपीईआरसी का टैरिफ आदेश/ट्रॉ—अप आदेश

टैरिफ आदेशों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं से ₹ 7,143.97 करोड़²⁵ के बढ़े हुए टैरिफ की वसूली में 2016-17 से 2019-20 और 2022-23²⁶ की अवधि के दौरान विलम्ब हुआ। अग्रेतर, 2020-21 से 2022-23 के दौरान विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई (2022-23 में एलएमवी-8 श्रेणी के उपभोक्ताओं को छोड़कर) जिससे विद्युत लागत को तुलना में कम राजस्व प्राप्त हुआ, जिससे एसीएस-एआरआर अंतर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

²¹ वित्तीय वर्ष 2018-19 के टैरिफ निर्धारण के लिए यूपीईआरसी (आदेश दिनांक 30 अगस्त 2018) द्वारा कार्यवाही स्वतः आरम्भ करने के बाद वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ याचिका प्रस्तुत की गयी।

²² पीवीवीएनएल एवं केस्को के मामले में, विलम्ब क्रमशः 214 दिन एवं 212 दिनों का था।

²³ वह तिथि जिस पर यूपीईआरसी (बहुवर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2014 में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं के अनुपालन में सभी आवश्यक सूचना, विवरण और दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, यूपीईआरसी ऐडमिटेंस आदेश निर्गत करेगा।

²⁴ विनियमन के अनुसार टैरिफ याचिका प्रस्तुत करने की तिथि (1 नवम्बर या 30 नवम्बर जो भी लागू हो) + यूपीईआरसी द्वारा टैरिफ के अन्तिमीकरण के लिए निर्दिष्ट 120 दिन।

²⁵ सम्बन्धित वर्ष के मार्च अंत के उपभोक्ता आधार को लेते हुए प्रत्येक श्रेणी के अनुमोदित टैरिफ दर में अंतर पर आगणित।

²⁶ 2022-23 के दौरान, एलएमवी-8 (एसटीडब्ल्यू पंचायती राज ट्यूबवेल और पंप नहरें) के लिए लागू टैरिफ को उच्च टैरिफ वाले एलएमवी-7 (सार्वजनिक जल कार्य) के साथ विलय कर दिया गया है इसलिए, केवल एलएमवी-8 उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ दर बढ़ा हुआ है।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि टैरिफ प्रस्ताव द्वारा भरपाई किये जाने वाले राजस्व अंतर की गणना हेतु सरकारी सब्सिडी की धनराशि के बारे में सूचना अपेक्षित थी। सब्सिडी की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार का विशेषाधिकार है और वितरण कम्पनियों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। उपरोक्त के कारण, टैरिफ याचिकाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। अग्रेतर, यूपीईआरसी ने अनुज्ञापिताधिकारियों को एआरआर से सम्बन्धित सूचना नए प्रारूपों के अन्तर्गत जमा करने के लिए अधिदेशित किया था और इसके लिए डाटा विभिन्न वितरण कम्पनियों से एकत्र किया जाता है, जिसमें समय अधिक लगता है और इसके परिणामस्वरूप टैरिफ याचिकाएं दाखिल करने में विलम्ब होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियों ने उ.प्र. सरकार से सब्सिडी आदेश प्राप्त होने से पहले टैरिफ याचिकायें दाखिल की थीं। इसलिए वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ याचिकाओं को दाखिल करने में विलम्ब के इस कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अग्रेतर, टैरिफ याचिकाएं दाखिल करना एक नियमित घटना है जो प्रत्येक वर्ष की जानी है। इसलिए, सम्बन्धित कार्य समय पर प्रारम्भ और पूर्ण किया जाना चाहिए ताकि टैरिफ याचिकाएं समय पर दाखिल की जा सकें।

संस्कृति 5:

उपभोक्ताओं से बढ़े हुये टैरिफ की वसूली में विलम्ब से बचने के लिए वितरण कम्पनियों को यूपीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिकायें समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए।

वार्षिक लेखे तैयार करने में विलम्ब

3.4.9 उदय एमओयू के कलॉज 1.3 (के) (iii) में प्रावधानित है कि वितरण कम्पनियाँ वार्षिक लेखों को समय पर तैयार करेंगी, जिससे टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करने में भी सहायता मिलेगी। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (2) के साथ पठित धारा 96 में प्रावधान है कि कम्पनी की प्रथम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से नौ माह की अवधि के अंदर और अन्य मामले में, सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से छः माह की अवधि के अंदर, आयोजित की जाएगी तथा प्रत्येक एजीएम में, कम्पनी का निदेशक मण्डल, ऐसी बैठक के समक्ष वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार, कम्पनी के वित्तीय लेखे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के भीतर यथा प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक, तैयार कर लिये जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियों के वार्षिक लेखों को वर्ष 2015–16, 2016–17, 2019–20 एवं 2020–21 (**परिशिष्ट-3.4**) में अन्तिमीकरण की निर्धारित तिथि से दो माह से लेकर 15 माह तक की देरी से तैयार किया गया था। वर्ष 2017–18 (पीवीवीएनएल को छोड़कर), 2018–19 और 2021–22 में, वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने की निर्धारित तिथि के भीतर ही तैयार कर लिया गया था। वार्षिक लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार राजस्व एवं व्यय के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित, टैरिफ के ढू–अप में विलम्ब हुआ।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि 1 अप्रैल 2007 से पारेषण व्यापार का हस्तांतरण उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी को होने के पश्चात् वर्ष 2007–08 के प्रारम्भिक लेखों को तैयार करने में चार वर्षों का विलम्ब हुआ जिसके कारण अनुवर्ती वर्षों में भी लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में वार्षिक लेखों का अन्तिमीकरण और उनकी लेखापरीक्षा, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पहले कर ली जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2007–08 में पारेषण व्यापार के अलग होने के बाद भी लेखों के अन्तिमीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय था। इसलिए, उपरोक्त वर्षों के दौरान वार्षिक लेखें समय पर तैयार किए जाने चाहिए थे।

शत-प्रतिशत फीडर मीटरिंग करने में विलम्ब

3.4.10 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (आई) (v) के अनुसार 100 प्रतिशत फीडर²⁷ मीटरिंग प्राप्त करने की लक्ष्य तिथि 30 सितम्बर 2016 निर्धारित थी। उच्च हानि वाले फीडरों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए फीडर मीटरिंग की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियों ने सितम्बर 2016 तक 2,862 फीडरों²⁸ के सापेक्ष 2,120 फीडरों पर फीडर मीटरिंग पूरी कर ली थी। यद्यपि, वितरण कम्पनियों ने बाद में 31 मार्च 2020 तक सभी फीडरों पर फीडर मीटरिंग पूरी कर ली थी, किन्तु फीडर मीटरिंग में विलम्ब के परिणामस्वरूप विलम्ब अवधि के दौरान उच्च हानि वाले फीडरों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई में विफलता रही।

उत्तर में, विभाग ने स्वीकार किया (मार्च 2023) कि धन की कमी के कारण फीडर मीटरिंग का लक्ष्य समय पर प्राप्त नहीं किया जा सका। हालांकि, मार्च 2020 तक सभी फीडरों की मीटरिंग कर ली गयी।

शत-प्रतिशत वितरण परिवर्तक मीटरिंग के लक्ष्यों को प्राप्त न करना

3.4.11 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (आई) (iv) के अनुसार, 100 प्रतिशत वितरण परिवर्तक (डीटी) मीटरिंग पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि 30 सितम्बर 2017 निर्धारित थी।

वितरण कम्पनियों द्वारा डीटी मीटरिंग के निर्धारित लक्ष्य और दिनांक 30 सितम्बर 2017 तक उनकी वास्तविक स्थापना तालिका 3.13 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.13: 30 सितम्बर 2017 को वितरण कम्पनियों द्वारा डीटी मीटरिंग का लक्ष्य एवं उपलब्धि

वितरण कम्पनी का नाम	उदय पोर्टल के अनुसार लक्ष्य	30 सितम्बर 2017 तक लगाए गए डीटी मीटर	लक्ष्य के सापेक्ष कमी	कमी प्रतिशत में
डीवीवीएनएल	3,948	1,892	2,056	52
एमवीवीएनएल	45,395	0	45,395	100
पीवीवीएनएल	2,21,192	7,255	2,13,937	97
पीयूवीवीएनएल	3,12,190	16,624	2,95,566	95
केस्को	4,014	2,742	1,272	32
योग	5,86,739	28,513	5,58,226	

चोतः उदय पोर्टल पर उपलब्ध सूचना

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वितरण कम्पनियाँ 30 सितम्बर 2017 तक डीटी मीटर लगाने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकीं और वितरण कम्पनी—वार कमी 32 से 100 प्रतिशत तक रही। अग्रेतर, कोई वितरण कम्पनी, अक्टूबर 2022 तक भी भी, डीटी मीटरिंग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि कुल 25,67,667 स्थापित वितरण परिवर्तकों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3,52,889 (13.74 प्रतिशत) ही उपलब्धि रही। इसके परिणामस्वरूप, सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, अधिक हानि वाले क्षेत्रों की पहचान करने में विफलता रही।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि डीटी मीटर स्थापना कार्य सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत धन की उपलब्धता पर निर्भर था। अब रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजना के अन्तर्गत सभी वितरण कम्पनियों द्वारा समस्त परिवर्तकों पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

²⁷ फीडर का अर्थ है किसी सब-स्टेशन से निकलने वाली हाई टेंशन या एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन जिससे वितरण उपकेन्द्र या हाई टेंशन या एक्स्ट्रा हाई टेंशन उपभोक्ता या लो टेंशन लाइन जुड़ी हो।

²⁸ 31 मार्च 2016 तक।

तथ्य यह है कि उदय एमओयू में परिकल्पित 100 प्रतिशत मीटरिंग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

फीडर पृथक्करण कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विलम्ब

3.4.12 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (आई) (viii) के अनुसार, वितरण कम्पनियाँ मार्च 2018 तक, सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत धन की संस्थीकृति के अनुसार भौतिक फीडर पृथक्करण का कार्य करेंगी।

वितरण कम्पनियों ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत, 2,227 कृषि फीडरों के पृथक्करण का लक्ष्य निर्धारित किया था। वितरण कम्पनी—वार लक्ष्य और उपलब्धि नीचे तालिका 3.14 में दी गयी है।

तालिका 3.14: वितरण कम्पनियों द्वारा फीडर पृथक्करण का लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र. सं.	वितरण कम्पनी का नाम	फीडर पृथक्करण हेतु नियत लक्ष्य	मार्च 2018 तक उपलब्धि	लक्ष्य के सापेक्ष कमी	कमी प्रतिशत में	मार्च 2021 तक उपलब्धि
1.	डीवीवीएनएल	691	283	408	59	691
2.	एमवीवीएनएल	184	91	93	51	184
3.	पीवीवीएनएल	1,154	374	780	68	1,154
4.	पीयूवीवीएनएल	198	47	151	76	198
योग		2,227	795	1,432	64	2,227

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 64 प्रतिशत कृषि फीडरों को उदय योजना की निर्धारित समय—सीमा के अंदर पृथक्करण नहीं किया जा सका और वितरण कम्पनी—वार कमी 51 से 76 प्रतिशत के मध्य रही। हालाँकि, लक्ष्य मार्च 2021 के अंत तक प्राप्त कर लिए गए थे।

विभाग ने उत्तर दिया कि निविदा में प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं जैसे कि बोलीदाताओं की गैर/कम भागीदारी तथा पुनः निविदा के कारण, अनुबंध प्रदान करने में एक से छः माह तक का प्रारंभिक विलम्ब हुआ। तत्पश्चात्, राइट ऑफ वे मामले (एनएच/रेलवे क्रॉसिंग, लाइनों के विचलन, ग्रामीणों की आपत्तियाँ, भारी वर्षा, मार्ग पर फसलें), कोविड-19 महामारी, साइटों की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ, जिसके लिए आरईसी से अतिरिक्त समय मांगा गया था। हालाँकि, डीडीयूजीजेवाई (नवीन) योजना के अन्तर्गत फीडर पृथक्करण का कार्य विस्तारित समय—सीमा यथा मार्च 2021 के अंदर पूर्ण कर लिया गया है और सभी परियोजनाओं के लिए क्लोज़र, आरईसी को प्रस्तुत एवं उनके द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया है।

तथ्य यह है कि फीडर पृथक्करण कार्य उदय एमओयू में निर्धारित समय के अंदर पूर्ण नहीं किया जा सका।

स्मार्ट मीटर लगाने के लक्ष्य की कम प्राप्ति

3.4.13 उदय एमओयू के अनुसार, प्रति माह 500 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर²⁹ लगाने की लक्षित तिथि 30 जून 2018 तथा 200 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए 31 मार्च 2020 निर्धारित थी। मार्च 2020 तक सभी वितरण कम्पनियों में स्मार्ट मीटरिंग के लिए पात्र उपभोक्ताओं की कुल संख्या 37.34 लाख थी।

²⁹ मीटर जिनमें, बाई डाएरेक्शनल कम्पूनिकेशन, इंटीग्रेटेड लोड लिमिट, कनेक्ट/डिस्कनेक्ट स्विच, प्रीपेड/टाइम ऑफ डे फीचर्स, टैम्पर इवेंट डिटेक्शन, रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग और नेट मीटरिंग आदि फीचर्स होते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यूपीपीसीएल ने अगस्त 2018 में यूपीईआरसी को स्मार्ट मीटरिंग रोल आउट प्लान प्रस्तुत किया था, जिसे यूपीईआरसी द्वारा नवम्बर 2018 में अनुमोदित किया गया था। रोल आउट प्लान के अनुसार स्मार्ट मीटरिंग को उदय एमओयू में उल्लिखित, उपभोग आधारित स्मार्ट मीटरिंग के बजाय शहरी क्षेत्रों, उच्च ऊर्जा इनपुट और उच्च एटीएंडसी हानि वाले क्षेत्रों में किया जाना था। रोल आउट प्लान में वितरण कम्पनियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के लिए वर्ष-वार लक्ष्य दिये गये थे, जैसा कि नीचे तालिका 3.15 में उल्लिखित है।

तालिका 3.15: रोल आउट प्लान के अनुसार वर्ष-वार स्मार्ट मीटरिंग लक्ष्य
(संख्या लाख में)

वितरण कम्पनी	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	कुल
(अ)	(ब)	(स)	(द)	(य)
डीवीवीएनएल	2.12	2.64	1.53	6.29
एमवीवीएनएल	2.32	2.37	4.35	9.04
पीवीवीएनएल	4.01	4.18	3.44	11.63
पीयूपीवीएनएल	5.11	4.95	1.41	11.47
केस्को	1.32	0.25	0	1.57
योग	14.88	14.39	10.73	40.00

चोत: यूपीपीसीएल द्वारा यूपीईआरसी को प्रस्तुत की गयी सूचना

लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि 40 लाख स्मार्ट मीटरिंग के लक्ष्य के सापेक्ष, वितरण कम्पनियाँ मार्च 2022 तक केवल 11.54 लाख³⁰ स्मार्ट मीटर ही स्थापित कर सकीं।

इस प्रकार, लक्ष्य के अनुसार स्मार्ट मीटरों की स्थापना में विफलता के कारण, वितरण कम्पनियों को चोरी में कमी और बिलिंग दक्षता में सुधार का इच्छित लाभ नहीं मिल सका, जो कि वितरण कम्पनियों के एटीएंडसी हानि कम करने में सहायता कर सकते थे।

विभाग ने उत्तर में कहा कि यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित रोल आउट प्लान में स्मार्ट मीटरिंग के लिए उपभोग के बजाय, एटीएंडसी हानि आधारित क्षेत्र चुना गया था। अग्रेतर, सीमित आपूर्ति के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर कई तकनीकी एवं व्यावहारिक जटिलताओं का सामना करना पड़ा, जिसमें काफी समय नष्ट हुआ। उपर्युक्त के अतिरिक्त, उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर के बारे में गलत धारणाएं थीं और वितरण कम्पनियों के अधिकारियों / कर्मचारियों में सूचना एवं जागरूकता का अभाव था। अगस्त 2020 में मीटर की गुणवत्ता एवं परियोजना के कुछ तकनीकी पहलुओं में सुधार के लिए परियोजना का कार्य अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उदय एमओयू पर जनवरी 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे जबकि यूपीपीसीएल ने अप्रैल 2018 अर्थात् उदय एमओयू पर हस्ताक्षर करने के दो वर्ष से अधिक समय के पश्चात् स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। परियोजना की शुरुआत में इस विलम्ब ने परियोजना के कार्यान्वयन में और अधिक विलम्ब किया। अग्रेतर, रोल आउट प्लान में उल्लिखित लक्ष्य वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सके।

उदय के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन का अनुश्रवण

3.5 उदय के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन के अनुश्रवण पर चर्चा नीचे की गयी है:

वितरण कम्पनियों के स्तर पर उदय का अनुश्रवण

3.5.1 उदय एमओयू के क्लॉज 1.3 (क्यू) एवं (आर) में प्रावधान है कि वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन की समीक्षा मासिक आधार पर वितरण कम्पनियों के सीएमडी / एमडी द्वारा की

³⁰ डीवीवीएनएल: 1.48 लाख, एमवीवीएनएल: 3.79 लाख, पीवीवीएनएल: 1.99 लाख, पीयूपीवीएनएल: 3.21 लाख एवं केस्को: 1.07 लाख।

जाएगी और त्रैमासिक लक्ष्यों के साथ मासिक अनुश्रवण प्रपत्र 31 मार्च 2016 तक वितरण कम्पनियों द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

वितरण कम्पनियाँ, लेखापरीक्षा को, उदय योजना के अन्तर्गत अनुश्रवण सम्बन्धी दस्तावेज़/अभिलेख उपलब्ध कराने में विफल रहीं। अभिलेखों के अभाव में वितरण कम्पनियों द्वारा उदय के अनुश्रवण की जाँच, लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

विभाग ने उत्तर दिया कि उदय मापदण्डों की प्रगति के अनुश्रवण के लिए प्रत्येक वितरण कम्पनी में समर्पित उदय सेल बनाए गए थे। खण्ड कार्यालयों के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा नियमित अनुश्रवण किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को अनुश्रवण सम्बन्धी अभिलेख जैसे मासिक बैठकों के कार्यवृत्त, प्रदान नहीं किए गए थे।

उदय पोर्टल पर गलत रिपोर्टिंग

3.5.2 उदय ओएम के क्लॉज 6.2 में प्रावधान है कि ऊर्जा मंत्रालय किसी भी चूक को रोकने के लिए मासिक आधार पर वितरण कम्पनियों के प्रदर्शन का अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधित्व के साथ उपयुक्त समीक्षा तंत्र तैयार करेगा। प्रदर्शन के अनुश्रवण के लिए, वितरण कम्पनियाँ अपनी मासिक उपलब्धियाँ, उदय पोर्टल³¹ पर अपलोड करेंगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियों ने, उदय पोर्टल पर, उदय एमओयू में उल्लिखित विभिन्न मापदण्डों की सूचना, अनन्तिम ऑकड़ों के आधार पर दी। हालाँकि, वास्तविक ऑकड़े उपलब्ध होने के बाद भी वितरण कम्पनियों द्वारा इसे पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया। उदय पोर्टल पर, एटीएंडसी हानियों एवं एसीएस-एआरआर अंतर के वास्तविक ऑकड़े एवं रिपोर्ट किये गए ऑकड़ों में विचलन का विवरण नीचे **तालिका 3.16** में दिया गया है।

तालिका 3.16: उदय पोर्टल पर एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर के वास्तविक ऑकड़े एवं रिपोर्ट किये गए ऑकड़ों का विवरण

एटीएंडसी हानियाँ:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
एटीएंडसी हानि के वास्तविक ऑकड़े	प्रतिशत	39.86	40.97	37.78	33.40	30.02
अनन्तिम ऑकड़ों के आधार पर उदय पोर्टल पर प्रदर्शित एटीएंडसी हानि	प्रतिशत	32.09	30.21	27.67	24.64	30.30

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा उदय पोर्टल पर रिपोर्ट किये गए ऑकड़े

एसीएस-एआरआर अंतर:

विवरण	इकाई	2019-20
एसीएस-एआरआर अंतर के वास्तविक ऑकड़े	₹ प्रति यूनिट	- 0.34
अनन्तिम ऑकड़ों के आधार पर उदय पोर्टल पर प्रदर्शित एसीएस-एआरआर अंतर	₹ प्रति यूनिट	- 0.07

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा उदय पोर्टल पर रिपोर्ट किये गए ऑकड़े

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि उदय पोर्टल पर एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर की गलत सूचना रिपोर्ट की गयी थी।

³¹ उदय पोर्टल भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है, जो उदय योजना में निर्धारित विभिन्न मापदण्डों पर विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त की गयी प्रगति को दर्शाता है।

विभाग ने कहा कि वितरण कम्पनियों द्वारा फीडिंग के समय उपलब्ध डाटा को पोर्टल पर अपलोड किया गया था। प्रारंभिक वर्षों के डाटा में अंतर था, हालाँकि, वर्ष 2019–20 में अपलोड किए गए आंकड़े लगभग समान हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उदय पोर्टल पर वास्तविक डाटा फीड करना वितरण कम्पनियों का उत्तरदायित्व था।

निष्कर्ष

अपनी बिलिंग दक्षता एवं संग्रहण दक्षता में सुधार न कर पाने की वजह से, जो मुख्यतः, बिना मीटर वाले संयोजनों पर मीटरों की स्थापना में विफलता, दोषपूर्ण मीटरों की अधिक संख्या, उच्च वितरण हानियाँ, बकायों की वसूली में विफलता तथा विभागीय उपभोक्ताओं से टैरिफ की कम वसूली के कारण थी, वितरण कम्पनियाँ उदय योजना के अन्तर्गत, 2019–20 तक एटीएंडसी हानि को घटाकर 14.86 प्रतिशत तक करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहीं।

औसत विद्युत क्रय लागत कम न हो पाने की वजह से जो मुख्यतः स्वीकार्य मानकों से अधिक व्यय की अस्वीकृति, अननुमोदित स्रोतों से विद्युत क्रय, उत्पादकों को विलम्बित भुगतान अधिभार का भुगतान, बिना मीटर वाले संयोजनों में शत–प्रतिशत मीटर लगाने में विफलता, विभागीय उपभोक्ताओं से टैरिफ दर के स्थान पर निश्चित दर की वसूली, समय पर टैरिफ याचिका दाखिल करने में विफलता, टैरिफ में संशोधन न होने आदि के कारण थी, वितरण कम्पनियाँ 2019–20 की लक्षित अवधि तक एसीएस–एआरआर अंतर को समाप्त करने में भी विफल रहीं।

वितरण कम्पनियाँ, डीटी मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, टैरिफ याचिकाओं को समय पर दाखिल करने के सम्बन्ध में उदय योजना के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न परिचालन मानदण्डों को प्राप्त नहीं कर सकी। वितरण कम्पनी के स्तर पर उदय योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण में भी कमी थी।

परिणामस्वरूप, उदय योजना में परिकल्पित परिचालन टर्नअराउंड का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

अध्याय—IV

उदय के कार्यान्वयन का परिणाम—
विद्युत वितरण कम्पनियों का उदय से
पूर्व एवं पश्चात् प्रदर्शन

अध्याय-IV

उदय के कार्यान्वयन का परिणाम—विद्युत वितरण कम्पनियों का उदय से पूर्व एवं पश्चात् प्रदर्शन

4.1 जैसा कि अध्याय-I के प्रस्तर 1.2 में चर्चा की गयी है, उदय योजना में वितरण कम्पनियों के वित्तीय एवं परिचालन टर्नअराउंड की परिकल्पना की गयी थी। वितरण कम्पनियों के उदय से पूर्व एवं पश्चात्, वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की वितरण कम्पनियों में उदय योजना के कार्यान्वयन के परिणामों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

वितरण कम्पनियों का उदय से पूर्व एवं पश्चात् वित्तीय प्रदर्शन


4.2 वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड के लिए उदय योजना एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसके अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के ऋण एवं हानियों का उ.प्र. सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहित किया जाना था। कार्यान्वयन अवधि के समाप्ति तक (2019–20), यह परिकल्पना की गयी थी कि राज्य की वितरण कम्पनियों की वित्तीय एवं परिचालन दक्षता में सुधार होगा।

लेखापरीक्षा ने उदय से पूर्व एवं पश्चात्, वितरण कम्पनियों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की और पाया कि योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् वितरण कम्पनियों की वित्तीय अवस्था में सुधार नहीं हुआ। वित्तीय अवस्था के प्रमुख संकेतकों अर्थात् उदय से पूर्व एवं पश्चात् की ऋण की स्थिति एवं वित्तीय हानियों की स्थिति की चर्चा नीचे की गयी है।

बकाया ऋण की स्थिति

4.3 30 सितम्बर 2015 को वितरण कम्पनियों का उदय से पूर्व बकाया ऋण ₹ 59,205.19 करोड़¹ था। इसमें से 75 प्रतिशत ऋण यानी ₹ 44,403.89 करोड़ उ.प्र. सरकार द्वारा जून 2016 तक अधिग्रहित किया गया। अतः वितरण कम्पनियों का प्रभावी ऋण ₹ 14,801.30 करोड़ हो गया। हालाँकि, 31 मार्च 2020 तक योजना समाप्त होने के समय वितरण कम्पनियों का ऋण पुनः ₹ 52,456.15 करोड़ तक पहुँच गया। 2020–21 के दौरान वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति और भी खराब हो गयी क्योंकि 31 मार्च 2021 को वितरण कम्पनियों का ऋण ₹ 74,119.46 करोड़ तक बढ़ गया एवं 31 मार्च 2022 में यह ₹ 71,102.77 करोड़ हो गया। वितरण कम्पनियों की वर्ष–वार ऋण की स्थिति नीचे चार्ट 4.1 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.1: उदय पूर्व एवं पश्चात् वितरण कम्पनियों के ऋण की स्थिति




¹ 30 सितम्बर 2015 से पूर्व वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी)–2012 के अन्तर्गत निर्गत किए गए ₹ 5,270.13 करोड़ धनराशि के बन्धपत्र सहित।

उपर्युक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि यद्यपि उ.प्र. सरकार द्वारा 75 प्रतिशत ऋण के अधिग्रहण के कारण वितरण कम्पनियों का ऋण 30 सितम्बर 2015 में ₹ 59,205.19 करोड़ से घटकर वर्ष 2015–16 के अंत तक ₹ 19,496.84 करोड़ हो गया परन्तु 2019–20 में योजना की समाप्ति तक पुनः तीव्रता से 169 प्रतिशत बढ़कर ₹ 52,456.15 करोड़ तक पहुँच गया एवं 2021–22 के अंत तक 265 प्रतिशत बढ़कर ₹ 71,102.77 करोड़ पहुँच गया। उ.प्र. सरकार द्वारा ₹ 44,403.89 करोड़ के ऋण का अधिग्रहण करने के बावजूद ऋण पुनः ₹ 14,801.30 करोड़ से बढ़कर ₹ 71,102.77 करोड़ हो गया। इस प्रकार, पर्याप्त आंतरिक संसाधनों के सृजन में अभाव में जो उदय योजना के अन्तर्गत परिकल्पित वित्तीय एवं परिचालन दक्षता प्राप्त करने में विफलता के कारण था, वितरण कम्पनियाँ अपने ऋणों को कम नहीं कर सकीं।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि वितरण कम्पनियों द्वारा ऋण भार न कम कर पाने के कारण योजना अवधि के दौरान ब्याज के भार में वृद्धि हुई। मार्च 2016 में, वितरण कम्पनियों पर ब्याज का भार ₹ 6,121.73 करोड़ था। उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों के ₹ 44,403.89 करोड़ के ऋण को अधिग्रहित करने के बावजूद, 2019–20 के दौरान ब्याज का भार ₹ 5,558.61 करोड़ रहा जो कि 2020–21 के दौरान बढ़कर ₹ 6,442.41 करोड़ हो गया। 2021–22 के दौरान ब्याज का भार ₹ 8,122.07 करोड़ तक बढ़ गया। वितरण कम्पनियों का ब्याज पर वर्ष–वार व्यय नीचे चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: उदय से पूर्व एवं पश्चात् वितरण कम्पनियों के ब्याज पर व्यय की स्थिति



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 2016–17 में ब्याज पर व्यय में तीव्र कमी उ.प्र. सरकार द्वारा मार्च 2016 एवं जून 2016 में वितरण कम्पनियों के ऋणों के अधिग्रहण के कारण थी। परन्तु 2017–18 के बाद से ब्याज पर व्यय में तेजी से वृद्धि, मुख्यतः कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए ऋण लेने एवं यूपीपीसीएल द्वारा हानियों के वित्तपोषण के लिए बन्धपत्र निर्गत करने के कारण हुई।


विभाग ने उत्तर में कहा कि वितरण कम्पनियों का वित्तीय भार उनके परिचालन प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 2016 के बाद ऋण काफी बढ़ गया क्योंकि वितरण कम्पनियों ने उदय नीति के अन्तर्गत बन्धपत्र निर्गत करते हुए लगभग ₹ 20,000 करोड़, आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत ₹ 32,840 करोड़ तथा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ₹ 3,951.20 करोड़ लिया था।

तथ्य यह है कि उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों के 75 प्रतिशत ऋण के अधिग्रहण के बावजूद, वितरण कम्पनियाँ उदय योजना में परिकल्पित वित्तीय एवं परिचालन दक्षताएँ प्राप्त करने में विफल रही जिसके कारण वे अपने ऋण को कम नहीं कर सकीं और उनको अपनी निधि की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वाहय स्रोतों पर निर्भर होना पड़ा।

हानियों की स्थिति

4.4 योजना अवधि के दौरान वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार नहीं हुआ क्योंकि वितरण कम्पनियों की वित्तीय हानियाँ 31 मार्च 2016 में ₹ 2,654.42 करोड़ से काफी बढ़कर 31 मार्च 2020 तक ₹ 3,792.24 करोड़ हो गयीं जो 31 मार्च 2021 को और अधिक बढ़कर ₹ 10,641.26 करोड़ हो गयीं। 31 मार्च 2022 को वितरण कम्पनियों की वित्तीय हानियाँ ₹ 6,492.45 करोड़ थीं। वितरण कम्पनी वार हानियाँ नीचे चार्ट 4.3 में दर्शायी गयी हैं।

चार्ट 4.3: उदय से पूर्व एवं पश्चात् वितरण कम्पनियों की वित्तीय हानियों की स्थिति




उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उदय योजना के कार्यान्वयन के बावजूद मार्च 2016 (उदय से पूर्व अवधि) से मार्च 2022 तक वितरण कम्पनियों की वित्तीय हानियों में ₹ 3,838.03 करोड़ की वृद्धि हुई थी। डीवीवीएनएल, पीवीवीएनएल एवं पीयूवीवीएनएल की वित्तीय हानियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 में अत्यधिक वृद्धि, मुख्यतः उ.प्र. सरकार से प्राप्त सब्सिडी में कमी एवं विद्युत क्रय की लागत में वृद्धि के कारण हुई थी। वर्ष 2021–22 में डीवीवीएनएल एवं एमवीवीएनएल की पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय हानियों में वृद्धि ढूबत ऋण हेतु अधिक प्रावधान के कारण तथा पीवीवीएनएल एवं पीयूवीवीएनएल की हानियों में कमी, उ.प्र. सरकार से सब्सिडी की प्राप्ति में वृद्धि के कारण हुई थी।

वितरण कम्पनियों के ऋण एवं हानियों में वृद्धि के मुख्य कारण उदय योजना के अन्तर्गत निर्धारित परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने में वितरण कम्पनियों की विफलता (प्रस्तर 4.6 एवं 4.7 में चर्चा की गयी है), एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध उदय अनुदान से सरकारी देयों का समायोजन, उ.प्र. सरकार द्वारा राजस्व सम्बिंदी का आगामी 10 वर्षों में आस्थगन (प्रस्तर 2.4.3, 2.5.1 एवं 2.5.2 में चर्चा की गयी है) इत्यादि थे। परिणामस्वरूप, धनराशि की कमी की पूर्ति करने के लिए, वितरण कम्पनियों को वित्तीय संस्थानों से ₹ 61,074.65 करोड़ की कार्यशील पूँजी ऋण लेना पड़ा, जिससे 2015–16 से 2022–23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान ₹ 18,751.99 करोड़ के ब्याज का भार वहन करना पड़ा।

अग्रेतर, वितरण कम्पनियों के लगातार घाटे में रहने के कारण, उनकी संचित हानियाँ 31 मार्च 2016 में ₹ 67,901.09 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2020 तक ₹ 85,152.99 करोड़ हो गयी। वितरण कम्पनियों की संचित हानियाँ 31 मार्च 2022 को ₹ 77,936.94 करोड़ रही। वितरण कम्पनियों की संचित हानियों की वर्ष-वार स्थिति नीचे चार्ट 4.4 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.4: उदय से पूर्व एवं पश्चात् वितरण कम्पनियों की संचित हानियों की स्थिति



इस प्रकार, योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् भी वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय टर्नअराउंड का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने उत्तर में कहा कि उदय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे किन्तु कुछ अपरिहार्य कारणों से लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। वितरण हानियों में कमी एवं वसूली दक्षता में वृद्धि के कारण एटीएंडसी हानियाँ 2015–16 में 39.86 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 30.02 प्रतिशत हो गयीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त वर्णित कारणों से वितरण कम्पनियाँ अपनी हानियों को कम करने एवं उदय योजना के अन्तर्गत परिकल्पित वित्तीय टर्नअराउंड के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहीं।

उदय से पूर्व एवं पश्चात् वितरण कम्पनियों का परिचालन प्रदर्शन


4.5 योजना में परिचालन गतिविधियों का इच्छित उद्देश्य वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना था। परिचालन दक्षता में सुधार को परिचालन प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से, जो कि 2019–20 तक एटीएंडसी हानियों में 14.86 प्रतिशत तक कमी तथा एसीएस–एआरआर के अंतर को समाप्त करना था, मापा जाना था।

लेखापरीक्षा ने उदय से पूर्व एवं पश्चात् वितरण कम्पनियों के परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा की और पाया कि योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् भी वितरण कम्पनियों की परिचालन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। परिचालन अवस्था के प्रमुख संकेतकों अर्थात् उदय से पूर्व एवं पश्चात् की एटीएंडसी हानि और एसीएस–एआरआर अंतर की चर्चा नीचे की गयी है।

एटीएंडसी हानियों की स्थिति

4.6 उदय से पूर्व अवधि (2015–16) के दौरान वितरण कम्पनियों की एटीएंडसी हानियाँ 39.86 प्रतिशत थी। हालाँकि, योजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान, कोई भी वितरण कम्पनी (केस्को को छोड़कर) एमओयू के अन्तर्गत निर्धारित एटीएंडसी हानि में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। 2019–20 में, केस्को भी हानि में कमी के लक्ष्य को पूर्ण करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, एटीएंडसी हानियों को, उदय पूर्व 39.86 प्रतिशत के स्तर से, 14.86 प्रतिशत तक लाने की परिकल्पना के सापेक्ष, 2019–20 में वितरण कम्पनियों की एटीएंडसी हानियाँ 30.02 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहीं। यद्यपि, 2020–21 में एटीएंडसी हानियाँ थोड़ी कम होकर 27.23 प्रतिशत हो गयीं, किन्तु 2021–22 में पुनः बढ़कर 31.19 प्रतिशत हो गयीं। वितरण कम्पनी वार उदय से पूर्व एटीएंडसी हानियों की स्थिति, एमओयू के अनुसार लक्ष्य एवं उनके विरुद्ध उपलब्धि नीचे चार्ट 4.5 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.5: वितरण कम्पनियों की एटीएंडसी हानियों की उदय से पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति



एटीएंडसी हानियों के लक्षित स्तर को प्राप्त न कर पाने के मुख्य कारण बिलिंग एवं वसूली दक्षता में कमी थी जैसा कि प्रस्तर 3.4.2 में चर्चा की गयी है तथा एटीएंडसी हानियों में कमी लाने के उपाय न करना जैसे कि बिना मीटर वाले संयोजनों पर मीटर लगाने में विफलता, दोषपूर्ण मीटरों की अत्यधिक संख्या, उच्च वितरण हानियाँ, उपभोक्ताओं से बकाये की वसूली हेतु अपर्याप्त प्रयास, अस्थायी विच्छेदन एवं स्थायी विच्छेदन मामलों में देयों की वसूली नहीं करना, चोरी के मामलों में निर्धारित धनराशि की वसूली न करना तथा विभागीय उपभोक्ताओं से टैरिफ दर के स्थान पर निर्धारित दरों की वसूली जिनकी चर्चा प्रस्तर 3.4.3 एवं 3.4.4 में की गयी है, थे।

विभाग ने उत्तर में कहा कि 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत के कारण ग्रामीण उपभोक्ता आधार में वृद्धि, रेलवे एवं अन्य उद्योगों के ओपन एक्सेस में प्रतिस्थापित होने के कारण राजस्व वसूली में कमी, कृषि उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति में वृद्धि और यूपीईआरसी द्वारा नियामक अधिभार को समाप्त करने जैसी अनियंत्रणीय घटनाओं ने वितरण कम्पनियों को एटीएंडसी हानि लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा पहुंचायी। इन प्रतिकूल कारणों के बावजूद, वितरण कम्पनियाँ उदय योजना अवधि में एटीएंडसी हानियों में 10 प्रतिशत की महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व कमी दर्ज करने में सफल रहीं।

तथ्य यह है कि उदय योजना में परिकल्पित एटीएंडसी हानि में कमी के लक्ष्य को वितरण कम्पनियाँ प्राप्त नहीं कर सकीं। इसके अतिरिक्त, 2020–21 तक गिरावट के रुझान के पश्चात् एटीएंडसी हानियाँ 2020–21 में 27.23 प्रतिशत से पुनः बढ़कर 2021–22 में 31.19 प्रतिशत हो गयीं।

एसीएस–एआरआर अंतर की स्थिति

4.7 उदय से पूर्व (2015–16) के दौरान वितरण कम्पनियों का एसीएस–एआरआर अंतर ₹ -0.33 प्रति यूनिट था, जो उदय अवधि (2019–20) की समाप्ति तक, ₹ 0.06 प्रति यूनिट अधिशेष के लक्ष्य के सापेक्ष बढ़कर ₹ -0.34 प्रति यूनिट हो गया। वितरण कम्पनियाँ वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में भी एसीएस–एआरआर अंतर को समाप्त नहीं कर सकीं क्योंकि यह क्रमशः ₹ -0.94 प्रति यूनिट एवं ₹ -0.56 प्रति यूनिट तक बढ़ गया। इस प्रकार, कोई भी वितरण कम्पनी एसीएस–एआरआर अंतर समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

इसके मुख्य कारण आपूर्ति की औसत लागत को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि विद्युत क्रय लागत को कम करने में विफलता एवं यूपीईआरसी द्वारा मानदण्डों से अधिक किये गये व्यय की अस्वीकृति तथा औसत वसूली योग्य राजस्व को प्रभावित करने वाले कारक जैसा कि प्रस्तर 3.4.6 एवं 3.4.7 में चर्चा की गयी है, थे।

इस प्रकार, वितरण कम्पनियों द्वारा परिचालन टर्नअराउंड का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने उत्तर में कहा कि अनियंत्रणीय घटनाओं जैसे कि 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत के कारण ग्रामीण उपभोक्ता आधार में वृद्धि, रेलवे एवं अन्य उद्योगों के ओपन एक्सेस में प्रतिस्थापित होने के कारण राजस्व वसूली में कमी, कृषि उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति में वृद्धि, यूपीईआरसी द्वारा नियामक अधिभार को समाप्त करना और यूपीईआरसी द्वारा टैरिफ में विभिन्न अस्वीकृतियों के बावजूद वितरण कम्पनियों का राजस्व आकलन प्रति यूनिट ऊर्जा इनपुट 2015–16 में ₹ 4.09 प्रति केडल्यूएच से बढ़कर 2019–20 में ₹ 4.82 प्रति केडल्यूएच हो गया और राज्य सरकार से टैरिफ सब्सिडी सहायता भी 2015–16 में ₹ 0.70 प्रति केडल्यूएच से बढ़कर 2019–20 में ₹ 0.90 प्रति केडल्यूएच हो गया। अग्रेतर, उ.प्र. की वितरण कम्पनियाँ परिवर्तनीय विद्युत क्रय लागत को कम करने में सफल रहीं, किन्तु नए विद्युत संयंत्रों जो उदय एमओयू पर हस्ताक्षर करने से पहले अनुबंधित हो गए थे, के चालू होने के कारण स्थायी प्रभारों में वृद्धि हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियाँ विभिन्न कारकों जैसे कि उत्पादकों को विलम्बित भुगतान अधिभार का भुगतान, यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक किये गये व्यय, अननुमोदित विद्युत क्रय आदि के कारण औसत विद्युत क्रय लागत को कम नहीं कर सकें। इसके अलावा, बिना मीटर वाले कनेक्शनों की 100 प्रतिशत मीटरिंग में विफलता, दोषपूर्ण मीटरों की अधिक संख्या, विभागीय उपभोक्ताओं से टैरिफ दर की बजाए निर्धारित दर की वसूली, टैरिफ याचिकाएँ दाखिल करने में विलम्ब, टैरिफ में संशोधन न होना और राजस्व बकायों की वसूली में विफलता जिससे बकाया राजस्व 2015–16 में ₹ 35,843.27 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 87,195.18 करोड़ हो गया, जैसे कारणों से राजस्व में बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकी।

तान्या सिंह

(तान्या सिंह)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
उत्तर प्रदेश

लखनऊ

दिनांक 9 जून 2024

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक 12 JUN 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्टयाँ

परिशिष्ट-1.1
(प्रस्तर 1.5 में संदर्भित)
लेखापरीक्षित मण्डलों और खण्डों की सूची

वितरण कम्पनी	मण्डल का नाम	खण्ड का नाम	मण्डल का नाम	खण्ड का नाम
डीवीवीएनल	ईयूडीसी, मथुरा	ईयूडीडी -I, मथुरा	ईयूडीसी, झाँसी	ईयूडीडी -I, झाँसी
		ईयूडीडी -II, वृन्दावन		ईयूडीडी -II, झाँसी
		ईयूडीडी -III, मथुरा		ईडीडी -I, एटा
	ईडीसी, कासगंज	ईडीडी -I, कासगंज	ईडीसी, एटा	ईडीडी -II, एटा
		ईडीडी -II, कासगंज		ईयूडीडी, एटा
एमवीवीएनल	ईयूडीसी, VIII लेसा	ईयूडीडी, रेजीडेंसी	ईयूडीसी-I, लेसा	ईयूडीडी, हुसैनगंज
		ईयूडीडी, चौक		ईयूडीडी, राजभवन
		ईयूडीडी, ठाकुरगंज		ईयूडीडी, अमीनाबाद
	ईडीसी, बाराबंकी	ईडीडी -I, बाराबंकी	ईडीसी, बहराइच	ईडीडी, बहराइच
		ईडीडी -II, बाराबंकी		ईडीडी, नानपारा
		ईडीडी, फतेहपुर		ईडीडी, कैसरगंज
		ईडीडी, राम सनेही घाट		
		ईडीडी, हैदरगढ़		
पीवीवीएनल	ईयूडीसी-I, नोएडा	ईयूडीडी -I, नोएडा	ईयूडीसी-II, नोएडा	ईयूडीडी -II, नोएडा
		ईयूडीडी -V, नोएडा		ईयूडीडी -III, नोएडा
		ईयूडीडी -VII, नोएडा		ईडीडी -IV, नोएडा
	ईडीसी-II, सहारनपुर	ईडीडी -II, सहारनपुर	ईडीसी -I, मुरादाबाद	ईयूडीडी, ग्रेटर नोएडा
		ईडीडी, नकुर		ईयूडीडी -VIII, नोएडा
		ईडीडी, रामपुर मनिहारन		ईडीडी -I, मुरादाबाद
				ईडीडी -II, मुरादाबाद
पीयूवीवीएनल	ईडीसी, बलिया	ईडीडी -I, बलिया	ईडीसी, महाराजगंज	ईडीडी, महाराजगंज
		ईडीडी -II, बलिया		ईडीडी, निचलौल
		ईडीडी -III, बांसडीह बलिया		ईडीडी, आनंद नगर
		ईडीडी -IV, बैरिया बलिया		ईडीडी, नौतनवा
	ईयूडीसी, गोरखपुर	ईयूडीडी -I, गोरखपुर	ईयूडीसी-I, वाराणसी	ईयूडीडी -I, वाराणसी
		ईयूडीडी -II, गोरखपुर		ईयूडीडी -II, वाराणसी
		ईयूडीडी -III, गोरखपुर		ईयूडीडी -IV, वाराणसी
		ईयूडीडी -IV, गोरखपुर		ईयूडीडी -VII, वाराणसी
कैस्को	सर्किल- I	ईयूडीडी, नवाबगंज	सर्किल -III	ईयूडीडी, जाजमऊ
		ईयूडीडी, फूलबाग		ईयूडीडी, हैरिसगंज
		ईयूडीडी, जरीबचौकी		ईयूडीडी, नौबस्ता
		ईयूडीडी, इलेक्ट्रिसिटी हाउस		ईयूडीडी, दिल्ली सुजानपुर
		ईयूडीडी, आलूमंडी		ईयूडीडी, हंसपुरम

परिशिष्ट-3.1

(प्रस्तर 3.4.1 में संदर्भित)

एटीएंडसी हानियों की गणना के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली दर्शने वाला विवरण

अ	निवल इनपुट ऊर्जा
ब	बेची गयी ऊर्जा
स	ऊर्जा की बिक्री से राजस्व
द	ऊर्जा की बिक्री से समायोजित राजस्व (प्राप्त सब्सिडी के आधार पर)
य	ऊर्जा की बिक्री हेतु प्रारंभिक देनदार
र	ऊर्जा की बिक्री के लिए समायोजित अंतिम देनदार
ल	संग्रहण दक्षता (प्रतिशत में)
व	अप्राप्त यूनिट
श	एटीएंडसी हानियाँ (प्रतिशत में)

खरीदी गयी सकल ऊर्जा—(अंतर्राज्यीय बिक्री और पारेषण हानियाँ)
अंतर्राज्यीय बिक्री को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बेची गयी ऊर्जा
ऊर्जा की बिक्री से राजस्व (बुक की गयी सब्सिडी सहित) किन्तु अंतर्राज्यीय
बिक्री से प्राप्त राजस्व को छोड़कर
ऊर्जा की बिक्री से राजस्व (उपर्युक्त ब के समान) से बुक की गयी सब्सिडी
और वर्ष के दौरान बुक की गयी सब्सिडी के बदले प्राप्त सब्सिडी घटाकर
प्रारंभिक देनदार (संदिग्ध देनदारों हेतु प्रावधानों के बिना)। बिल न किया गया
राजस्व देनदार के रूप में नहीं माना जाएगा
अंतिम देनदार (संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान के बिना)। बिल न किया
गया राजस्व देनदार के रूप में नहीं माना जाएगा + वर्ष के दौरान बट्टे खाते
में डाली गयी कोई भी धनराशि

(द + य - र)/ स x 100
 निवल इनपुट ऊर्जा - (बेची गयी ऊर्जा x संग्रहण दक्षता)
 अप्राप्त यूनिट / निवल इनपुट ऊर्जा x 100

स्रोत: ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एटीएंडसी हानियों की गणना हेतु दिशा-निर्देश

परिशिष्ट-3.2

(प्रस्तर 3.4.1 में संदर्भित)

एमओयू में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उच्च एटीएंडसी हानियों के कारण व्यर्थ हुई ऊर्जा यूनिटों को दर्शाने वाला विवरण

वितरण कम्पनी	वर्ष	एएफएस के अनुसार ऊर्जा इनपुट (एमयू)	एएफएस के अनुसार बेची गयी ऊर्जा (एमयू)	वास्तविक एटीएंडसी हानियाँ (प्रतिशत)	एमओयू के अनुसार एटीएंडसी हानियों का लक्ष्य (प्रतिशत)	अधिक एटीएंडसी हानियाँ (प्रतिशत)	अधिक एटीएंडसी हानियों के कारण व्यर्थ हुई ऊर्जा यूनिटें (एमयू)	ऊर्जा के क्रय की औसत लागत (₹ प्रति यूनिट)	व्यर्थ हुई ऊर्जा यूनिटों का मूल्य (₹ करोड़ में)
(अ)	(ब)	(स)	(द)	(य)	(र)	(ल) = (य)-(र)	(व) = (स) * (ल)/100	(श)	(ष) = (व)*(श)/10
डीवीवीएनल	2015-16	20431.73	15435.73	43.13	35.94	7.19	1469.04	4.41	647.85
	2016-17	22244.68	16811.27	40.62	30.30	10.32	2295.65	4.44	1019.27
	2017-18	25009.71	18735.57	38.89	24.83	14.06	3516.37	4.47	1571.82
	2018-19	24082.45	19035.31	37.12	20.44	16.68	4016.95	5.26	2112.92
	2019-20	24710.98	19456.14	39.74	15.35	24.39	6027.01	4.56	2748.32
	2020- 21	25888.03	19183.00	32.09	15.35	16.74	4333.66	4.63	2006.48
	2021- 22	25725.44	19129.25	31.44	15.35	16.09	4139.22	4.24	1755.03
उप योग									11861.69
एमवीवीएनल	2015-16	16352.51	12722.47	44.41	33.13	11.28	1844.56	4.41	813.45
	2016-17	19128.97	14759.01	47.10	27.80	19.30	3691.89	4.44	1639.20
	2017-18	21857.02	17007.33	45.32	23.20	22.12	4834.77	4.37	2112.79
	2018-19	21287.18	16697.54	40.46	19.45	21.01	4472.44	5.69	2544.82
	2019-20	22851.68	18426.23	33.89	14.89	19.00	4341.82	5.43	2357.61
	2020- 21	23520.97	18765.22	32.48	14.89	17.59	4137.34	5.75	2378.97
	2021- 22	24352.98	20125.98	34.87	14.89	19.98	4865.73	5.66	2754.00
उप योग									14600.84
पीवीवीएनल	2015-16	26926.17	21905.13	27.13	24.63	2.50	673.15	4.42	297.53
	2016-17	31110.59	25334.79	29.73	22.99	6.74	2096.85	4.44	931.00
	2017-18	34438.67	28437.30	25.97	20.63	5.34	1839.02	4.41	811.01
	2018-19	33336.73	28393.36	22.27	17.53	4.74	1580.16	5.2	821.68
	2019-20	34432.42	29065.91	18.64	14.01	4.63	1594.22	5.39	859.28
	2020- 21	33463.71	27491.63	17.23	14.01	3.22	1077.53	6.14	661.60
	2021- 22	34427.51	28238.69	22.58	14.01	8.57	2950.44	5.84	1723.06
उप योग									6105.16
पीयूवीवीएनल	2015-16	20637.79	15887.68	51.14	38.87	12.27	2532.26	4.41	1116.73
	2016-17	23676.13	18286.23	53.19	34.19	19.00	4498.46	4.44	1997.32
	2017-18	27016.33	20758.60	47.89	26.92	20.97	5665.32	3.87	2192.48
	2018-19	26153.55	20795.20	39.64	20.65	18.99	4966.56	4.97	2468.38
	2019-20	26651.59	21237.26	34.24	15.49	18.75	4997.17	5.15	2573.54
	2020- 21	27603.46	21902.65	32.44	15.49	16.95	4678.79	5.11	2390.86
	2021- 22	28621.34	22854.31	40.33	15.49	24.84	7109.54	4.21	2993.12
उप योग									15732.43
केस्को	2015-16	3594.37	2935.25	28.16	35.25	-7.09	-254.84	4.42	0.00
	2016-17	3688.94	3089.16	25.10	29.44	-4.34	-160.10	4.44	0.00
	2017-18	3677.92	3199.74	21.26	24.11	-2.85	-104.82	5.57	0.00
	2018-19	3468.97	3173.84	16.49	19.37	-2.88	-99.91	7.12	0.00
	2019-20	3578.25	3300.50	15.46	14.45	1.01	36.14	6.49	23.46
	2020- 21	3382.74	3029.25	12.45	14.45	-2.00	-67.65	7.78	0.00
	2021- 22	3757.86	3396.64	15.51	14.45	1.06	39.83	6.76	26.93
उप योग									50.39
महायोग									48350.51

झोत: वितरण कम्पनियों की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ (एएफएस)

परिशिष्ट-3.3
(प्रस्तर 3.4.3 (ब) में संदर्भित)
वितरण कम्पनियों में दोषपूर्ण मीटरों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	विवरण	डीवीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयूवीवीएनएल	केस्को
2015-16	मीटर्ड उपभोक्ताओं की कुल संख्या	2416201	2694893	2551964	1900052	542787
	दोषपूर्ण मीटरों की संख्या	176449	252068	166639	207527	44361
	दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत	7.30	9.35	6.53	10.92	8.17
2016-17	मीटर्ड उपभोक्ताओं की कुल संख्या	2571161	3020811	2744555	1996640	562600
	दोषपूर्ण मीटरों की संख्या	530306	396858	129349	337051	33354
	दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत	20.63	13.14	4.71	16.88	5.93
2017-18	मीटर्ड उपभोक्ताओं की कुल संख्या	3132017	3758430	3924500	3151313	580317
	दोषपूर्ण मीटरों की संख्या	967781	932960	322968	807202	19762
	दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत	30.90	24.82	8.23	25.61	3.41
2018-19	मीटर्ड उपभोक्ताओं की कुल संख्या	4292234	5324819	5178495	5498259	607464
	दोषपूर्ण मीटरों की संख्या	1042322	1128953	667053	1183457	8074
	दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत	24.28	21.20	12.88	21.52	1.33
2019-20	मीटर्ड उपभोक्ताओं की कुल संख्या	5243022	6624478	6030508	6278165	603348
	दोषपूर्ण मीटरों की संख्या	824384	902373	576359	1292181	8369
	दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत	15.72	13.62	9.56	20.58	1.39
2020-21	मीटर्ड उपभोक्ताओं की कुल संख्या	5772591	7406344	6180794	7518663	652173
	दोषपूर्ण मीटरों की संख्या	584834	344865	294082	945146	5236
	दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत	10.13	4.66	4.76	12.57	0.80
2021-22	मीटर्ड उपभोक्ताओं की कुल संख्या	5503801	8383108	6466404	8444696	667378
	दोषपूर्ण मीटरों की संख्या	386184	330332	381785	1048050	5995
	दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत	7.02	3.94	5.90	12.41	0.90
(अक्टूबर 2022 तक)	मीटर्ड उपभोक्ताओं की कुल संख्या	5709464	8706660	6740374	9265659	687849
	दोषपूर्ण मीटरों की संख्या	288811	298788	331834	1009696	1367
	दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत	5.06	3.43	4.92	10.90	0.20

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट-3.4

(प्रस्तर 3.4.9 में संदर्भित)

वितरण कम्पनियों द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

वितरण कम्पनी	विवरण	वर्ष						
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
डीवीवीएनएल	वार्षिक लेखा को अंतिम रूप देने की तिथि	22-12-2017	23-08-2018	25-09-2018	26-09-2019	27-01-2021	20-12-2021	20-08-2022
	अंतिम रूप देने की अपेक्षित तिथि	30-09-2016	30-09-2017	30-09-2018	30-09-2019	30-09-2020	30-09-2021	30-09-2022
	अंतिम रूप देने में विलम्ब (माह में)	15	11	0	0	4	3	0
एमवीवीएनएल	वार्षिक लेखा को अंतिम रूप देने की तिथि	29-12-2017	07-09-2018	25-09-2018	25-09-2019	21-01-2021	15-02-2022	23-08-2022
	अंतिम रूप देने की अपेक्षित तिथि	30-09-2016	30-09-2017	30-09-2018	30-09-2019	30-09-2020	30-09-2021	30-09-2022
	अंतिम रूप देने में विलम्ब (माह में)	15	11	0	0	4	5	0
पीवीवीएनएल	वार्षिक लेखा को अंतिम रूप देने की तिथि	30-12-2017	18-08-2018	28-12-2018	26-09-2019	19-01-2021	30-11-2021	24-08-2022
	अंतिम रूप देने की अपेक्षित तिथि	30-09-2016	30-09-2017	30-09-2018	30-09-2019	30-09-2020	30-09-2021	30-09-2022
	अंतिम रूप देने में विलम्ब (माह में)	15	11	3	0	4	2	0
पीयूवीवीएनएल	वार्षिक लेखा को अंतिम रूप देने की तिथि	27-12-2017	06-09-2018	25-09-2018	26-09-2019	18-01-2021	11-12-2021	20-08-2022
	अंतिम रूप देने की अपेक्षित तिथि	30-09-2016	30-09-2017	30-09-2018	30-09-2019	30-09-2020	30-09-2021	30-09-2022
	अंतिम रूप देने में विलम्ब (माह में)	15	11	0	0	4	2	0
केस्को	वार्षिक लेखा को अंतिम रूप देने की तिथि	30-12-2017	18-08-2018	25-09-2018	25-09-2019	06-01-2021	14-12-2021	26-08-2022
	अंतिम रूप देने की अपेक्षित तिथि	30-09-2016	30-09-2017	30-09-2018	30-09-2019	30-09-2020	30-09-2021	30-09-2022
	अंतिम रूप देने में विलम्ब (माह में)	15	11	0	0	3	2	0

झोत: वितरण कम्पनियों की वार्षिक विवरणियाँ और कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag2/uttar-pradesh>